
अध्याय 1
राज्य शासन के वित्त

अध्याय 1 – राज्य शासन के वित्त

1.1 प्रस्तावना

यह अध्याय वर्ष 2018–19 के दौरान राज्य शासन के वित्त पर व्यापक परिदृश्य को प्रस्तुत करता है तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान समग्र प्रवृत्तियों, राज्य की ऋण रूपरेखा और मुख्य लोक लेखा लेनदेन, मध्य प्रदेश शासन के वित्त लेखों के आधार को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2017–18 की तुलना में मुख्य राजकोषीय समुच्चय में परिवर्तनों का विश्लेषण करता है।

1.2 राज्य की रूपरेखा

मध्य प्रदेश देश का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। यह राज्य 3,08,245 वर्ग कि.मी. (देश के कुल भौगोलिक क्षेत्र का 9.38 प्रतिशत) के भौगोलिक क्षेत्र में फैला हुआ है और जनगणना 2011 के अनुसार लगभग 7.26 करोड़ व्यक्तियों (देश की जनसंख्या का 6 प्रतिशत) का घर है। राज्य की जनसंख्या की दशकीय (2009–2019) वृद्धि दर 15.79 प्रतिशत थी जो कि अखिल भारतीय विकास दर 12.84 प्रतिशत से अधिक थी।

राज्य के सामान्य और वित्तीय आंकड़े को **परिशिष्ट 1.1** में दर्शाया गया है।

1.3 सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी.)

सकल राज्य घरेलू उत्पाद किसी निश्चित समय में राज्य की सीमाओं के अंदर उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य है। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण संकेतक है, क्योंकि यह एक समयावधि में राज्य के आर्थिक विकास के स्तर में परिवर्तन की सीमा को लक्षित करता है।

भारत के सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वार्षिक संवृद्धि की प्रवृत्ति को वर्तमान मूल्यों एवं स्थिर मूल्यों (आधार वर्ष: 2011–12) पर **तालिका 1.1** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.1: भारत का सकल घरेलू उत्पाद एवं राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद					
	(₹ करोड़ में)				
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्तमान मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद	1,24,67,959	1,37,71,874	1,53,62,386	1,70,95,005	1,90,10,164
सकल घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	10.99	10.46	11.55	11.28	11.20
वर्तमान मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,79,939	5,41,189	6,48,849	7,28,242	8,09,327
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.21	12.76	19.89	12.24	11.13
स्थिर मूल्य पर राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद	3,83,944	4,18,856	4,71,016	5,00,151	5,35,362
स्थिर मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	5.15	9.09	12.45	6.19	7.04

(स्रोत: सांख्यिकी एवं योजना क्रियान्वयन मंत्रालय द्वारा दिनांक 1 अगस्त 2019 को एवं आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा जारी किये गये विवरण पत्रक)

2018–19 के दौरान मध्य प्रदेश का प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद ₹99,783 था (भारत का प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद ₹1,42,719)। यह पड़ोसी राज्य बिहार (₹47,541), उत्तर प्रदेश (₹68,792) एवं झारखण्ड (₹82,430) से बेहतर था लेकिन छत्तीसगढ़ (₹1,08,058) से कम था।

इस अध्याय में दिए गए राज्य शासन के वित्त के विश्लेषण को समझने के लिए शासकीय लेखों की संरचना को जानना आवश्यक है। **परिशिष्ट 1.2 के भाग (क) एवं भाग (ख)** में शासकीय लेखों की संरचना एवं वित्त लेखों के अभिन्यास (layout) की व्याख्या की गई है। चयनित शब्दावली जिनका प्रयोग राजकोषीय समुच्चय की रूपरेखा तथा पद्धति के मूल्यांकन में किया गया है, की परिभाषा **परिशिष्ट 1.2 के भाग (ग)** में दिया गया है।

1.4 राजकोषीय लेन-देनों का सारांश

तालिका 1.2 एवं 1.3 अवधि 2014-19 के दौरान राज्य शासन की प्राप्तियों एवं व्ययों का सारांश प्रस्तुत करती है। अवधि 2018-19 के दौरान समग्र राजकोषीय स्थिति के साथ-साथ प्राप्तियों और संवितरणों का सार **परिशिष्ट 1.3** में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: 2014-19 के दौरान प्राप्तियों का सारांश						2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि / कमी का प्रतिशत
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
(₹ करोड़ में)						
अनुभाग-क: राजस्व						
राजस्व प्राप्तियाँ	88,640.78	1,05,510.60	1,23,306.79	1,34,875.39	1,48,892.79	10.39
कर राजस्व	36,567.12	40,213.66	44,193.65	44,810.85	50,882.41	13.55
करेत्तर राजस्व	10,375.23	8,568.79	9,086.51	9,061.18	11,898.69	31.32
संघ करों/शुल्कों का अंश	24,106.99	38,397.84	46,064.10	50,853.07	57,487.01	13.05
भारत सरकार से अनुदान	17,591.44	18,330.31	23,962.53	30,150.29	28,624.69	(-)5.06
अनुभाग-ख: पूंजीगत एवं अन्य						
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	27.73	26.47	24.19	19.35	13.04	(-)32.61
कर्ज तथा अग्रिम की वसूलियाँ	6,765.05	162.32	772.05	5,069.53	69.88	(-)98.62
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.91	1.93	0.01	-0.05	0.75	1600.00
लोक ऋण प्राप्तियाँ	15,068.71	19,985.30	29,847.41	21,892.17	32,497.42 ¹	48.44
आकस्मिकता निधि	300.00	1.08	-	-	-	-
लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,10,294.74	1,32,772.19	1,61,078.58	1,71,664.83	1,86,344.24	8.55
प्रारम्भिक रोकड़ शेष	4,477.03	5,401.96	10,898.72	10,993.66	7,135.56	(-)35.09
योग	2,25,574.95	2,63,861.85	3,25,927.75	3,44,514.88	3,74,953.68	8.84


(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

¹ भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थापाय अग्रिम की राशि ₹3,376.38 करोड़ शामिल है।

तालिका 1.3: 2014-19 के दौरान व्यय का सारांश						2017-18 की तुलना में 2018-19 में वृद्धि / कमी का प्रतिशत
	(₹ करोड़ में)					
	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	
अनुभाग—क: राजस्व						
राजस्व व्यय	82,372.82	99,770.70	1,19,537.37	1,30,246.09	1,42,149.21	9.14
सामान्य सेवाएं	22,365.11	25,700.26	27,903.12	32,100.08	38,112.57	18.73
सामाजिक सेवाएं	32,067.15	42,650.93	47,942.43	58,346.17	58,707.31	0.62
आर्थिक सेवाएं	23,715.12	25,528.52	36,884.73	32,734.59	37,657.67	15.04
सहायतानुदान तथा अंशदान	4,225.44	5,890.99	6,807.09	7,065.24	7,671.66	8.58
अनुभाग—ख: पूंजीगत एवं अन्य						
पूंजीगत परिव्यय	11,877.68	16,835.47	27,288.31	30,913.22	29,424.19	(-)4.82
संवितरित कर्ज तथा अग्रिम	12,534.61	3,157.91	4,940.27	1,550.20	1,089.66	(-)29.71
अंतर्राज्यीय परिशोधन	0.98	1.94	0.66	-0.01	1.05	10600.00
लोक ऋण का पुनर्भुगतान	4,920.52	4,860.36	4,925.41	5,776.38	13,523.72 ²	134.12
आकस्मिकता निधि	301.08	-	-	-	-	-
लोक लेखा संवितरण	1,08,165.30	1,28,336.75	1,58,242.07	1,68,893.44	1,83,376.83	8.58
अन्तिम रोकड़ शेष	5,401.96	10,898.72	10,993.66	7,135.56	5,389.02	(-)24.48
योग	2,25,574.95	2,63,861.85	3,25,927.75	3,44,514.88	3,74,953.68	8.84

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य की समेकित निधि में संसाधनों के संघटन एवं संसाधनों के उपयोग चार्ट 1.1 और चार्ट 1.2 में दिए गए हैं।



² भारतीय रिजर्व बैंक से प्राप्त अर्थापाय अग्रिम की राशि ₹3,376.38 करोड़ का पुनर्भुगतान शामिल है।

1.4.1 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन

तालिका 1.4 विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान राज्य के प्रमुख राजकोषीय समुच्चयों में मुख्य परिवर्तनों का विहंगम दृश्य प्रस्तुत करती है:

तालिका 1.4: 2017-18 की तुलना में 2018-19 के दौरान मुख्य राजकोषीय समुच्चयों में परिवर्तन	
राजस्व प्राप्तियाँ	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राज्य की राजस्व प्राप्तियाँ 10.39 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ राज्य के स्वयं के कर की प्राप्तियाँ 13.55 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ स्वयं की करेतर प्राप्तियाँ 31.32 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ संघ करों/शुल्कों में राज्य का अंश 13.05 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ भारत सरकार से सहायतानुदान 5.06 प्रतिशत से कम हुआ।
राजस्व व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ राजस्व व्यय 9.14 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सामान्य सेवाओं पर राजस्व व्यय 18.73 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 0.62 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय 15.04 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ सहायतानुदान पर व्यय 8.58 प्रतिशत से बढ़ा।
पूँजीगत व्यय	<ul style="list-style-type: none"> ➤ पूँजीगत व्यय 4.82 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ सामान्य सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 2.68 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ सामाजिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 6.74 प्रतिशत से बढ़ा। ➤ आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय 7.38 प्रतिशत से कम हुआ।
कर्ज तथा अग्रिम	<ul style="list-style-type: none"> ➤ कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण 29.71 प्रतिशत से कम हुआ। ➤ कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ 98.62 प्रतिशत से कम हुईं।
लोक ऋण	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक ऋण प्राप्तियाँ 48.44 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ लोक ऋण का पुनर्भुगतान 134.12 प्रतिशत से बढ़ा।
लोक लेखा	<ul style="list-style-type: none"> ➤ लोक लेखा प्राप्तियाँ 8.55 प्रतिशत से बढ़ी। ➤ लोक लेखों संवितरण 8.58 प्रतिशत से बढ़ा।
रोकड़ शेष	<ul style="list-style-type: none"> ➤ रोकड़ शेष ₹1,746.54 करोड़ (24.48 प्रतिशत) से कम हुआ।

उपर्युक्त प्रत्येक संकेतकों का विश्लेषण उत्तरवर्ती कंडिकाओं में किया गया है:

- राजस्व प्राप्तियाँ मुख्यतः राज्य माल एवं सेवा कर में ₹9,812.38 करोड़ (112.84 प्रतिशत) से एवं करेतर राजस्व में ₹2,837.51 करोड़ (31.32 प्रतिशत) से वृद्धि के कारण ₹14,017.40 करोड़ (10.39 प्रतिशत) से बढ़ी।
- राजस्व व्यय मुख्यतः कृषि एवं संबद्ध गतिविधियों (₹ 3,675 करोड़ से) एवं शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹2,521 करोड़ से) के कारण ₹11,903.12 करोड़ (9.14 प्रतिशत) से बढ़ा।
- पूँजीगत व्यय ऊर्जा शीर्ष के अंतर्गत ₹5,207 करोड़ से कम व्यय के कारण ₹1,489.03 करोड़ (4.82 प्रतिशत) से कम हुआ। यह मुख्यतः उदय के अंतर्गत 2017-18 के दौरान ₹4,622 करोड़ के व्यय की तुलना में 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं करने के कारण था। इस पर आगे कंडिका 1.10.2 में चर्चा की गई है।

2017-18 तथा 2018-19 के दौरान निधियों के स्रोत एवं उपयोग का विवरण नीचे तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: 2017-18 तथा 2018-19 के दौरान निधियों के स्रोत एवं उपयोग का विवरण				
		(₹ करोड़ में)		वृद्धि/कमी (%)
	विवरण	2017-18	2018-19	
स्रोत	प्रारंभिक रोकड़ शेष	10,993.66	7,135.56	-35.09
	राजस्व प्राप्तियां	1,34,875.39	1,48,892.79	10.39
	पूंजीगत प्राप्तियां	19.35	13.04	-32.61
	कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियां	5,069.53	69.88	-98.62
	लोक ऋण प्राप्तियां (निवल)	16,115.79	18,973.70	17.73
	लोक लेखा प्राप्तियां (निवल)	2,771.39	2,967.41	7.07
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	-0.05	0.75	1600.00
	कुल	1,69,845.06	1,78,053.13	4.83
उपयोग	राजस्व व्यय	1,30,246.09	1,42,149.21	9.14
	पूंजीगत व्यय	30,913.22	29,424.19	-4.82
	कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	1,550.20	1,089.66	-29.71
	अंतर्राज्यीय परिशोधन	-0.01	1.05	10600.00
	समापन रोकड़ शेष	7,135.56	5,389.02	-24.48
	कुल	1,69,845.06	1,78,053.13	4.83

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.4.2 सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियाँ

सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां नीचे तालिका 1.6 में प्रस्तुत की गई हैं:

तालिका 1.6: सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों/राजस्व व्यय/पूंजीगत व्यय की प्रवृत्तियां					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व प्राप्तियाँ					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियाँ (₹ करोड़ में)	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893
वर्तमान मूल्य पर राजस्व प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.02	19.03	16.87	9.38	10.39
राजस्व प्राप्तियाँ/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	18.47	19.50	19.00	18.52	18.40
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित राजस्व व्यय					
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	82,373	99,771	1,19,537	1,30,246	1,42,149
वर्तमान मूल्य पर राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.89	21.12	19.81	8.96	9.14
राजस्व व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	17.16	18.44	18.42	17.88	17.56
सकल राज्य घरेलू उत्पाद से संबंधित पूंजीगत व्यय					
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय (₹ करोड़ में)	11,878	16,835	27,288	30,913	29,424
वर्तमान मूल्य पर पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.85	41.73	62.09	13.28	-4.82
पूंजीगत व्यय/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	2.47	3.11	4.21	4.24	3.64

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे तथा आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालनालय, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय जानकारी)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से स्पष्ट है, राजस्व प्राप्तियां और राजस्व व्यय में 2014-15 से 2018-19 तक वृद्धि हुई, पूंजीगत व्यय में 2014-18 के दौरान वृद्धि हुई लेकिन 2018-19 के दौरान कमी हुई।

2014-15 की तुलना में, 2018-19 में राजस्व प्राप्तियों, राजस्व व्यय और पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर में कमी आई। 2017-18 की तुलना में, राजस्व प्राप्तियों और राजस्व व्यय की संवृद्धि दर में वृद्धि हुई थी। हालांकि, विगत वर्ष की तुलना में, पूंजीगत व्यय की वृद्धि दर काफी कम थी।

1.4.3 उत्पलावक अनुपात में प्रवृत्तियां

उत्पलावक अनुपात आधार चर में दिए गए परिवर्तन के संबंध में राजकोषीय चर की लोचशीलता या प्रतिशादशीलता के परिमाण को इंगित करता है। एक से अधिक का मान आधार चर की तुलना में राजकोषीय चर की प्रभाव्यता के उच्च परिमाण को इंगित करता है। जैसे सकल राज्य घरेलू उत्पाद बढ़ती है, शासन की राजस्व जुटाने की क्षमता भी बढ़नी चाहिए। **तालिका 1.7** सकल राज्य घरेलू उत्पाद में परिवर्तन के संबंध में राजस्व प्राप्तियों की उत्पलावकता को दर्शाती है।

तालिका 1.7: उत्पलावकता अनुपात					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	4,79,939	5,41,189	6,48,849	7,28,242	8,09,327
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राजस्व प्राप्ति उत्पलावकता	1.85	1.49	0.85	0.77	0.93
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष राज्य के स्वयं के कर की उत्पलावकता	0.98	0.78	0.50	0.11	1.22
राज्य के स्वयं के करों के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियां	1.89	1.91	1.70	6.70	0.77

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि **तालिका 1.7** से देखा जा सकता है, 2016-19 की अवधि के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियों की उत्पलावकता एक से कम थी जो दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राजस्व प्राप्तियाँ धीमी दर से बढ़ी। 2014-18 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में राज्य के करों की उत्पलावकता एक से कम थी, तथापि ये 2018-19 के दौरान बढ़ी जो दर्शाता है कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में स्वयं के कर राजस्व तीव्र दर से बढ़े।

1.5 राजकोषीय स्थिति की समीक्षा

1.5.1 राजकोषीय सुधार पथ

राज्य शासन ने राजकोषीय स्थिरता एवं संधारणीयता सुनिश्चित करने, सार्वजनिक वित्तों के प्रबंधन में पारदर्शिता एवं दक्षता को बढ़ाने, पर्याप्त राजस्व अधिशेष प्राप्त कर संसाधनों की उपलब्धता बढ़ाने, राजकोषीय घाटा कम करने तथा राजकोषीय नीति एवं विवेकपूर्ण ऋण प्रबंधन के प्रभावी संचालन हेतु बाधाओं को दूर करने के लिए संघीय राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 के अनुरूप मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 को लागू किया।

1.5.2 मुख्य राजकोषीय मापदंडों पर मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम लक्ष्य एवं उनकी उपलब्धियाँ

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य शासन को 31 मार्च 2009 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना था एवं उसके पश्चात राजस्व अधिशेष को बनाए रखना था 31 मार्च 2009 तक राजकोषीय घाटे का अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद

के तीन प्रतिशत तक कम करना था एवं उसके पश्चात समान स्तर को बनाए रखना था। आगे, अधिनियम में यह भी परिकल्पित था कि राज्य शासन 31 मार्च 2015 तक सकल राज्य घरेलू उत्पाद की तुलना में कुल बकाया ऋण 40 प्रतिशत तक सीमित करेगी।

जनवरी 2016 में मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम संशोधन में राज्यों के लिए उनके अवार्ड अवधि (2015–16 से 2019–20) के दौरान अनुशंसित राजकोषीय घाटे की सीमा से संबंधित चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं को शामिल किया गया। अधिनियम ने प्रावधान किया कि राजकोषीय घाटा किसी भी वित्त वर्ष में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत की वार्षिक सीमा से अधिक न हो।

बजट में दिए गए मुख्य राजकोषीय संकेतकों के अंतर्गत 2018–19 के दौरान राज्य का निष्पादन चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाएं तथा मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में दिए लक्ष्य वास्तविक आंकड़ों के अनुसार **तालिका 1.8** में दिए गए हैं।

तालिका 1.8: 2018–19 के दौरान राज्य का निष्पादन				
मुख्य राजकोषीय संकेतक	चौदहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य	मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम द्वारा निर्धारित लक्ष्य	बजट अनुमान में निर्धारित लक्ष्य (एम. टी.एफ.पी.एस. ³)	वास्तविक आंकड़े
राजस्व घाटा/आधिक्य	कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं	निरंक घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.03 प्रतिशत (+) ₹262 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 0.83 प्रतिशत (+) ₹6,744 करोड़
राजकोषीय घाटा	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.25 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.50 प्रतिशत	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 3.24 प्रतिशत (-) ₹26,781 करोड़	सकल राज्य घरेलू उत्पाद का 2.93 प्रतिशत (-) ₹23,688 करोड़
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष कुल बकाया ऋणों का अनुपात (प्रतिशत में)	25.63 प्रतिशत	25.00 प्रतिशत	26.34 प्रतिशत	24.01 प्रतिशत (₹1,94,309 करोड़)
प्राथमिक घाटा	—	—	(-) ₹13,913.42 करोड़	(-) ₹10,991.96 करोड़

(स्रोत: चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसा 2015–20, 2018–19 के दौरान राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अधीन विधान सभा के समक्ष बजट के साथ प्रस्तुत पत्रक तथा वित्त लेखे 2018–19)

राज्य ने राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा एवं सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋण का अनुपात बजट आंकलन 2018–19 राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम में निर्धारित तथा चौदहवें वित्त आयोग की अनुशंसाओं के अनुसार समस्त लक्ष्यों को प्राप्त किया है। बजट आंकलन में निर्धारित प्राथमिक घाटे के लक्ष्य को भी प्राप्त किया गया है।

राज्य ने 2015–19 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष को हासिल किया। 2018–19 की अवधि के दौरान राजस्व अधिशेष ₹6,744 करोड़ था। तथापि, जैसा कि **तालिका 1.9** में वर्णित है, इस अधिशेष को पूँजीगत श्रेणी के अंतर्गत राजस्व मदों के गलत वर्गीकरण तथा राज्य शासन द्वारा अपेक्षित कार्यों के गैर अंशदान के संबंध में देखा जाना है।

2015–19 के दौरान राज्य राजकोषीय घाटे को सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3.50 प्रतिशत से कम रखने में सफल रहा।

³ मध्यमकालिक राजकोषीय नीति विवरण

2015-19 की अवधि के दौरान राज्य का बकाया ऋण लगातार सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 25 प्रतिशत से कम रहा जो कि मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2005 में निर्धारित मापदंडों के अंतर्गत है।

1.5.3 वास्तविक राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा

बजट घाटे को कम करने के लिए अल्पावधि उद्देश्यों पर अत्यधिक ध्यान सृजनात्मक लेखांकन को प्रोत्साहित करता है तथा घाटा कम करने वाले एकल उपायों को सहायता प्रदान करता है। **तालिका 1.9**, 2018-19 के दौरान राज्य शासन द्वारा गलत वर्गीकरण/पुस्तांकन तथा निधियों को गैर/कम अंशदान को ध्यान में रखने के पश्चात वास्तविक अधिशेष/घाटा का विश्लेषण करती है।

तालिका 1.9: वास्तविक राजस्व अधिशेष तथा राजकोषीय घाटा		
विवरण	(₹ करोड़ में)	
	राजस्व अधिशेष पर प्रभाव (अत्युक्ति कर)	राजकोषीय घाटे पर प्रभाव (न्यूनोक्ति कर)
राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के बीच गलत वर्गीकरण (लेखों की टिप्पणियों की कंडिका सं I(v), वित्त लेखे खंड- I)	1,111.97	-
एन.एस.डी.एल/ट्रस्टी बैंक को योगदान का कम अंतरण (लेखों की टिप्पणी की कंडिका सं 3 (i) वित्त लेखे खंड- I)	113.10	113.10
एन.डी.आर.एफ. से एस.डी.आर.एफ. को अनुदान का गैर अंतरण (लेखों की टिप्पणी की कंडिका सं 3(v) वित्त लेखे खंड- I)	334.00	334.00
समेकित निक्षेप निधि को गैर अंतरण (लेखों की टिप्पणी की कंडिका 3 (vi) (क) वित्त लेखे खंड- I)	861.82	861.82
प्रत्याभूति मोचन निधि को कम योगदान (लेखों की टिप्पणी की कंडिका सं. 3 (vi) (ख) वित्त लेखे खंड- I)	51.92	51.92
ब्याजयुक्त जमा एवं आरक्षित निधियों पर ब्याज का गैर भुगतान (लेखों की टिप्पणी की कंडिका सं 3 (viii) वित्त लेखे खंड- I)	7.43	7.43
कुल	2,480.24	1,368.27

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, वर्ष के दौरान राजस्व अधिशेष की ₹2,480.24 करोड़ से अत्युक्ति थी तथा राजकोषीय घाटे की ₹1,368.27 करोड़ से न्यूनोक्ति थी। तथापि, यह ध्यान में रखते हुए कि लेखों में दर्शित संपूर्ण राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹6,743.58 करोड़ एवं ₹23,687.65 करोड़ था, राज्य के पास 2018-19 के दौरान **तालिका 1.9** में दिए गए मदों को ध्यान में रखने के पश्चात् भी ₹4,263.34 करोड़ का राजस्व अधिशेष था।

1.5.4 मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण

मध्य प्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अनुसार राज्य शासन प्रत्येक वित्त वर्ष में बजट के साथ मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण राज्य विधान सभा के समक्ष रखेगी जिसमें राज्य शासन के राजकोषीय उद्देश्य एवं पंचवर्षीय चलित लक्ष्य निहित होंगे।

तालिका 1.10 राज्य विधान सभा को 2018-19 के लिए वार्षिक बजट के साथ प्रस्तुत किए गए मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण में 2018-19 के लिए किए गए अनुमानों तथा वर्ष के वास्तविक आंकड़ों के बीच परिवर्तन को इंगित करती है।

तालिका 1.10: 2018-19 के लिए मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण में किए गए अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक आंकड़े			
			(₹ करोड़ में)
राजकोषीय चर	मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण के अनुसार अनुमान	वास्तविक आंकड़े (2018-19)	परिवर्तन (प्रतिशत में)
स्वयं के कर राजस्व	54,655.24	50,882.41	-6.90
करेतर राजस्व	10,933.78	11,898.69	8.83
केन्द्रीय करों का अंश	59,489.92	57,487.01	-3.37
भारत सरकार से सहायतानुदान	30,807.53	28,624.69	-7.09
राजस्व प्राप्तियां	1,55,886.47	1,48,892.79	-4.49
राजस्व व्यय	1,55,623.91	1,42,149.21	-8.66
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजस्व घाटा (-)/अधिशेष (+)	0.03	0.83	-
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में राजकोषीय घाटा (-)/अधिशेष (+)	(-)3.24	(-)2.93	-
ऋण- सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात (प्रतिशत)	26.34	24.01	-

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है, तीन राजकोषीय मापदंडों यथा राजस्व अधिशेष, राजकोषीय घाटा एवं ऋण-सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात से संबंधित मध्यम कालीन राजकोषीय नीति विवरण में किए गए अनुमानों में 2018-19 के दौरान अनुमानों की तुलना में उल्लेखनीय रूप से सुधार हुआ।

1.5.5 राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण

राजकोषीय घाटा राजस्व एवं ऋणोत्तर प्राप्तियों से अधिक राजस्व एवं पूंजीगत व्यय के (ऋण एवं अग्रिमों सहित) आधिक्य को पूरा करने के लिए राज्य की कुल (मुख्यतः रोकड़ के आहरण एवं भारतीय रिजर्व बैंक के साथ शेष के निवेश एवं उधार) आवश्यकता को प्रदर्शित करता है। राजकोषीय घाटे का वित्तपोषित प्रतिमान (pattern) तालिका 1.11 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण प्रतिमान						
					(₹ करोड़ में)	
विवरण		2014-15	2015-16	2016-17 ⁴	2017-18	2018-19
राजकोषीय घाटा (कोष्ठक में दिए गए आंकड़े सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत दर्शाते हैं)		11,352 (2.37)	14,065 (2.60)	27,664 (4.26)	22,745 (3.12)	23,688 (2.93)
1	राजस्व अधिशेष	6,268	5,740	3,770	4,629	6,744
2	निवल पूंजीगत व्यय	-11,850	-16,809	-27,265	-30,894	-29,411
3	निवल कर्ज एवं अग्रिम	-5,770	-2,996	-4,169	3,520	-1,021
राजकोषीय घाटे का वित्तीय प्रतिमान**						
1	बाजार उधारियां	8,171	12,991	14,551	13,125	15,001
2	भारत सरकार से प्राप्त कर्ज	536	414	249	824	2,647
3	राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां	1,184	922	1,266	1,348	1,086
4	वित्तीय संस्थानों से कर्ज	258	798	1,590	913	334
5	आरक्षित निधियां	143	1,733	-498	-1,038	590
6	अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	962	1,025	813	680	2,249
7	जमा एवं अग्रिम	618	574	3,436	2,316	164
8	उचंत एवं विविध	462	1,457	-842	110	-677

⁴ उदय के प्रभाव को सम्मिलित कर

तालिका 1.11: राजकोषीय घाटे के संघटन एवं वित्तपोषण प्रतिमान						
(₹ करोड़ में)						
विवरण		2014-15	2015-16	2016-17 ⁴	2017-18	2018-19
9	प्रेषण	-57	-352	-72	704	642
10	अन्य ⁵	-925	-5,497	+7,171	+3,763	+1,652
राजकोषीय घाटा		11,352	14,065	27,664	22,745	23,688

**ये सभी आंकड़े वर्ष के दौरान संवितरण/बहिर्वाह के निवल (नेट) हैं

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

बाजार उधारियों ₹15,001 करोड़ ने कुल राजकोषीय घाटे ₹23,688 करोड़ के एक बड़े हिस्से को वित्तपोषित करना जारी रखा। राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण में इसकी हिस्सेदारी 2017-18 में 57.70 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 में 63.33 प्रतिशत हो गयी।


वर्ष 2018-19 के दौरान, राजकोषीय घाटे, को पूरा करने वाले अन्य मुख्य घटक भारत सरकार से प्राप्त ऋण (₹2,647 करोड़) और अल्प बचत एवं भविष्य निधि आदि (₹2,249 करोड़) थे।

1.6 बजट अनुमान, पुनरीक्षित अनुमान एवं वास्तविक आंकड़े

बजट अनुमानों के सापेक्ष वास्तविक प्राप्तियों एवं व्यय में कमी या तो अप्रत्याशित एवं अनपेक्षित घटनाओं या बजट तैयार करने के स्तर पर व्यय या राजस्व के कम/अधिक अनुमान के कारण, वांछित राजकोषीय उद्देश्यों को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है।

वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों और पुनरीक्षित अनुमानों के साथ प्रमुख राजकोषीय मापदंडों के वास्तविक आंकड़ों की तुलना नीचे चार्ट 1.3 में दी गयी है तथा बजट अनुमान के सापेक्ष वास्तविक आंकड़ों की विस्तृत तुलना परिशिष्ट 1.4 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 1.3: मुख्य राजकोषीय मापदंड : वास्तविक आंकड़ों के सापेक्ष बजट अनुमान / पुनरीक्षित अनुमान



(स्रोत : वित्त लेखे एवं बजट 2018 -19 तथा वर्ष 2018 -19 एवं 2019-20 के लिए बजट पुस्तिकाएं)

चार्ट 1.3 का विश्लेषण नीचे दर्शाया गया है:

- राजस्व प्राप्ति, बजट अनुमान से मुख्यतः कर राजस्व ₹3,773 करोड़ से एवं केन्द्रीय अंतरण ₹4,186 करोड़ से कम के कारण थी, जिसे करेतर राजस्व के अन्तर्गत ₹965 करोड़ की बढ़ी हुयी प्राप्तियों से आंशिक रूप से संतुलित किया गया था।
- कर राजस्व के अधिकांश घटक विशेष रूप से बिक्री, व्यापार आदि पर कर (₹1,597 करोड़ से) और राज्य माल एवं सेवा कर (₹1,599 करोड़ से) बजट अनुमानों में किये गये अनुमान से कम थे जैसा कि परिशिष्ट 1.4 में विस्तृत है। करेतर राजस्व के अंतर्गत उच्च प्राप्तियां

⁵ आकस्मिक निधि, रोकड़ शेष, निवेश एवं बंधपत्र के अधीन लेन-देन

मुख्य रूप से ब्याज प्राप्तियां (₹530 करोड़ से) और शिक्षा, खेल, कला, और संस्कृति (₹411 करोड़ से) के अंतर्गत थी।

- प्रमुखतः विद्युत बोर्ड को बजट (₹4,070 करोड़ से) से कमतर सहायता के कारण आर्थिक सेवाओं (₹7,165 करोड़) में आई कमी के कारण राजस्व व्यय, बजट अनुमान से कम था।
- पुनरीक्षित अनुमान क्रमशः ₹1,007 करोड़ एवं ₹5,743 करोड़ के विरुद्ध ऊर्जा एवं यातायात के ₹2,272 करोड़ एवं ₹6,892 करोड़ के बढ़े हुए व्यय के कारण पूंजीगत व्यय, बजट अनुमान एवं पुनरीक्षित अनुमान से क्रमशः ₹81 करोड़ एवं ₹2,180 करोड़ से अधिक था।

1.6.1 जेण्डर बजटिंग

राज्य का जेण्डर बजट महिलाओं को पूर्ण या आंशिक हितलाभ दिलाने वाली योजनाओं पर समग्र बजट में से किए जाने वाले प्रस्तावित व्यय को प्रकट करता है। मध्य प्रदेश में जेण्डर बजटिंग की शुरुआत 2007-08 में की गई थी। जेण्डर बजट से संबंधित योजनाओं को दो श्रेणियों में विभाजित किया गया था (1) योजनाएं जिसमें 100 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे और (2) योजनाएं जिसमें कम से कम 30 प्रतिशत बजट प्रावधान महिलाओं से संबंधित थे।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 तक के लिए श्रेणी 1 एवं 2 के संबंध में वर्षवार आवंटन एवं व्यय तालिका 1.12 में दिया गया है।

तालिका 1.12: 2014-19 के दौरान जेण्डर बजटीय आवंटन						
(₹ करोड़ में)						
वर्ष	श्रेणी 1			श्रेणी 2		
	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत	परिव्यय	व्यय	परिव्यय की तुलना में व्यय का प्रतिशत
2014-15	1,813.41	890.48	49.11	36,340.81	27,501.26	75.68
2015-16	2,582.59	2,441.72	94.55	36,514.60	30,543.77	83.65
2016-17	2,359.33	1,422.27	60.28	40,848.26	36,327.84	88.93
2017-18	2,617.70	2,411.88	92.14	44,391.09	45,689.86	102.93
2018-19	3,288.41	उपलब्ध नहीं*	—	48,948.00	उपलब्ध नहीं*	—

* वित्त विभाग द्वारा प्रदाय नहीं की गयी
(स्रोत: वित्त विभाग, मध्य प्रदेश शासन द्वारा प्रदाय सूचना)

1.6.1.1 जेण्डर बजट की उपयोगिता में कमी

लोक शिक्षण संचालनालय, राज्य शिक्षा केन्द्र तथा विकास आयुक्त, जिन्हें 2018-19 के दौरान अधिकतम बजट आवंटित किया गया था, के संबंध में श्रेणी 1 एवं श्रेणी 2 के अंतर्गत जेण्डर बजट की उपयोगिता में कमी को तालिका 1.13 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.13: 2018-19 के दौरान श्रेणीवार प्रावधान और व्यय								
(₹ करोड़ में)								
श्रेणी 1 (100 प्रतिशत)					श्रेणी 2 (30 प्रतिशत)			
विभाग का नाम	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कमी (प्रतिशत)	योजनाओं की संख्या	कुल प्रावधान	कुल व्यय	कमी (प्रतिशत)
लोक शिक्षण	01	0.80	0.02	97.50	24	10,915.95	7,681.04	29.63
राज्य शिक्षा केन्द्र	02	27.26	2.64	90.32	03	3,671.54	3,194.41	13.00
विकास आयुक्त	--	--	--	--	06	10,954.34	8,555.19	21.90

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रस्तुत जानकारी)


आगे, यह भी देखा गया कि श्रेणी 1 के अंतर्गत दो योजनाओं एवं श्रेणी 2 के अंतर्गत 24 योजनाओं में ₹ एक करोड़ से अधिक की कमी पायी गयी थी तथा इन योजनाओं में निर्धारित प्रावधान एक प्रतिशत से 100 प्रतिशत के मध्य अप्रयुक्त रहे थे, जिसका विवरण परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है। इसने महिला उन्मुख योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये प्रदायित निधियों के खराब उपयोग को इंगित किया।


1.7 राज्य के वित्तीय संसाधन

1.7.1 वार्षिक वित्त लेखे के अनुसार राज्य के संसाधन


राजस्व प्राप्तियों में कर राजस्व, करेत्तर राजस्व, संघ करों तथा शुल्कों में राज्य का अंश और भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान सम्मिलित हैं। पूंजीगत भाग के अंतर्गत प्राप्तियों में विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ यथा विनिवेश से प्राप्त विक्रय धन, ऋण तथा अग्रिमों की वसूली, आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ (बाजार कर्ज, वित्तीय संस्थानों/वाणिज्यिक बैंकों से उधारियाँ) तथा भारत सरकार से ऋण तथा अग्रिम सहित लोक लेखे में शेष सम्मिलित हैं।

चार्ट 1.4, 1.5 एवं 1.6 क्रमशः कुल प्राप्तियों की संरचना, 2014-19 के दौरान राज्य की प्राप्तियों के विभिन्न संघटकों में प्रवृत्ति एवं 2018-19 के दौरान संसाधनों के संघटन को दर्शाता है।







- 2014-19 के दौरान, शासन की कुल प्राप्तियां 13.12 प्रतिशत के संयोजित वार्षिक वृद्धि दर (सी.ए.जी.आर.) से ₹71,807 करोड़ से बढ़ी।
- समान अवधि के दौरान राजस्व प्राप्तियां, पूंजीगत प्राप्तियां (विविध पूंजीगत प्राप्तियां, ऋणों एवं अग्रिमों की वसूली एवं लोक ऋण प्राप्तियों सहित) और लोक लेखा प्राप्तियां (निवल) क्रमशः ₹60,252 करोड़ (67.97 प्रतिशत) से, ₹10,717 करोड़ (49.02 प्रतिशत) से, तथा ₹838 करोड़ (39.34 प्रतिशत) से बढ़ी।



1.7.2 राजस्व प्राप्तियाँ

वित्त लेखे के विवरण पत्रक-14 में शासन की राजस्व प्राप्तियों के ब्यौरे दिए गए हैं। 2014-19 के दौरान राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति एवं संघटन परिशिष्ट 1.6 में प्रस्तुत की गई है और क्रमशः चार्ट 1.7 एवं 1.8 में भी चित्रित की गई हैं।



1.7.2.1 राज्य के स्वयं के संसाधन

राज्य के स्वयं के संसाधन में राज्य द्वारा उत्पादित कर एवं करेत्तर राजस्व शामिल है। 2014-19 की पांच वर्ष की अवधि के दौरान कर राजस्व एवं करेत्तर राजस्व के संग्रहण का विवरण **परिशिष्ट 1.7** में प्रस्तुत किया गया है।

2014-19 के दौरान, राज्य के स्वयं के संसाधनों में 7.54 प्रतिशत की संयोजित वार्षिक वृद्धि दर से ₹15,839 करोड़ की वृद्धि हुई। राज्य के स्वयं के राजस्व मुख्यतः राज्य माल एवं सेवा कर में ₹9,812 करोड़ से (112.83 प्रतिशत) तथा करेत्तर राजस्व में ₹2,838 करोड़ से (31.32 प्रतिशत) की वृद्धि के कारण 2017-18 में 1.11 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 के दौरान 16.54 प्रतिशत हो गया था।

कर राजस्व

2014–19 के दौरान कर राजस्व का विवरण तालिका 1.14 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.14: कर राजस्व के संघटक					
(₹ करोड़ में)					
राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	18,136	19,806	22,561	14,984	9,903
राज्य माल एवं सेवा कर	-	-	-	8,696	18,508
राज्य उत्पाद शुल्क	6,696	7,923	7,533	8,245	9,542
वाहन कर	1,824	1,933	2,252	2,692	3,008
स्टाम्प तथा पंजीयन शुल्क	3,893	3,868	3,925	4,789	5,278
भू-राजस्व	243	277	407	491	384
माल तथा यात्री पर कर	2,686	3,085	3,805	1,159	118
विद्युत पर कर एवं शुल्क	2,010	2,258	2,621	2,590	2,616
अन्य कर ⁶	1,079	1,064	1,090	1,165	1,525
योग	36,567	40,214	44,194	44,811	50,882
वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,79,939	5,41,189	6,48,849	7,28,242	8,09,327
सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कर राजस्व (प्रतिशत में)	7.62	7.43	6.81	6.15	6.29

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2018–19 में स्वयं के कर राजस्व में 13.55 प्रतिशत से वृद्धि राज्य माल एवं सेवा कर में ₹9,812 करोड़ से एवं राज्य उत्पाद शुल्क में ₹1,297 करोड़ से वृद्धि के कारण थी। भारत सरकार ने भी माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुए नुकसान की भरपाई हेतु ₹2,866 करोड़ का सहायता अनुदान दिया था। तथापि, 2018–19 के दौरान स्वयं का कर राजस्व चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किये गये आंकलन (₹74,926 करोड़) से कम रहा।

करेत्तर राजस्व


2014–19 के दौरान करेत्तर राजस्व का विवरण, इनकी प्रवृत्ति तथा वृद्धि नीचे क्रमशः तालिका 1.15, चार्ट 1.9 एवं चार्ट 1.10 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.15: करेत्तर राजस्व के संघटक					
(₹ करोड़ में)					
राजस्व शीर्ष	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
अलौह खनिज, धातु एवं उद्योग	2,814	3,060	3,168	3,641	3,934
शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	3,276	1,292	1,824	1,310	2,366
वानिकी एवं वन्य जीवन	969	1,002	918	1,112	1,043
ब्याज प्राप्तियाँ	1,261	429	582	639	880
लाभांश एवं लाभ	80	130	231	622	347
अन्य करेत्तर प्राप्तियाँ	1,975	2,656	2,363	1,737	3,329 ⁷
योग	10,375	8,569	9,086	9,061	11,899

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

⁶ अन्य करों में कृषि भूमि के अतिरिक्त अचल सम्पत्ति पर कर, आय एवं व्यय पर अन्य कर, एवं माल एवं सेवाओं पर शुल्क सम्मिलित है।

⁷ विविध सामान्य सेवाएं (₹773.18 करोड़, 1329 प्रतिशत), लघु सिंचाई (₹545.04 करोड़, 54 प्रतिशत), अन्य प्रशासनिक सेवाएं (₹355.97 करोड़, 168 प्रतिशत), मध्यम सिंचाई (₹226.40 करोड़, 57 प्रतिशत), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ का अंशदान एवं वसूली (₹222.35 करोड़, 364 प्रतिशत), चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य (₹214.46 करोड़, 66 प्रतिशत), ऊर्जा (₹190.32 करोड़, -2 प्रतिशत), लोक निर्माण (₹151.75 करोड़, 21 प्रतिशत), पुलिस (₹145.70 करोड़, 17 प्रतिशत), अन्य सामाजिक सेवाएं (₹92.69 करोड़, 63 प्रतिशत), ग्राम एवं लघु उद्योग (₹88.13 करोड़, 484 प्रतिशत), फसल कृषि कर्म (₹62.14 करोड़, 27 प्रतिशत), मुख्य सिंचाई (₹37.07 करोड़, 45 प्रतिशत) एवं अन्य प्राप्तियाँ (₹223 करोड़, -21 प्रतिशत) के अंतर्गत प्राप्तियाँ शामिल हैं।



2018-19 के दौरान करेत्तर राजस्व में वृद्धि मुख्यतः शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति (₹1,056 करोड़ से) के अंतर्गत थी। यह मुख्यतः समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत प्राप्ति के गलत वर्गीकरण के कारण थी। राज्य शिक्षा केंद्र (अगस्त 2020) ने सूचित किया कि 2018-19 के दौरान भारत सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान के क्रियान्वयन के लिए ₹1,018 करोड़ की प्रतिपूर्ति की थी तथा राज्य शासन ने इसे अपने 40 प्रतिशत के हिस्से ₹679 करोड़ के साथ मुख्य शीर्ष 2202 के अंतर्गत राज्य शिक्षा केंद्र को जारी किया था। तथापि, राज्य शिक्षा केंद्र ने राशि का गलत वर्गीकरण किया तथा संपूर्ण राशि ₹1,697 करोड़ (₹1,018 करोड़ + ₹679 करोड़) मुख्य शीर्ष 2202 के स्थान पर मुख्य शीर्ष 0202 में जमा कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप राज्य के राजस्व व्यय एवं करेत्तर राजस्व में ₹1,697 करोड़ से वृद्धि हुई।

1.7.2.2 भारत सरकार से सहायतानुदान

राज्य शासन, वित्त आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित सहायतानुदान एवं केन्द्रीय करों एवं शुल्कों के अंश प्राप्त करती है। राज्य को भारत सरकार से प्राप्त सहायतानुदान का विवरण नीचे **तालिका 1.16** में दिया गया है।

तालिका 1.16: भारत सरकार से सहायतानुदान					
(₹करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
आयोजनेत्तर अनुदान	4,425	3,990	5,473	4,408	4,921
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	9,011	13,371	17,702	23,164	20,821
केन्द्रीय आयोजनागत योजनाओं के लिए अनुदान	1,263	359	257	67	17
केंद्र प्रवर्तित योजनाओं के लिए अनुदान	2,893	610	531	-	-
राज्य को अन्य अनुदान (माल एवं सेवा कर के लागू होने के कारण हुयी राजस्व हानि के लिये प्रतिपूर्ति)	-	-	-	2,511	2,866
योग	17,592	18,330	23,963	30,150	28,625
विगत वर्ष की तुलना में वृद्धि(+)/कमी(-) की प्रतिशतता	49.38	4.19	30.73	25.82	(-)5.06
राजस्व प्राप्तियां	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893
राजस्व प्राप्तियों की प्रतिशतता के रूप में कुल अनुदान	19.85	17.37	19.43	22.35	19.23

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2018-19 के दौरान गैर-योजनागत अनुदानों में वृद्धि मुख्यतः चौदहवें वित्त आयोग-स्थानीय निकायों के लिये अनुदान के अंतर्गत विगत वर्ष की तुलना में अधिक अनुदान (₹492 करोड़ से) प्राप्त होने के कारण थी जबकि राज्य योजनागत योजनाओं के लिये अनुदानों में कमी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण के लिये विगत वर्ष की तुलना में ₹1,689 करोड़ से कम अनुदान के कारण थी।

1.7.2.3 केन्द्रीय कर अंतरण

वर्ष 2014-19 के दौरान भारत सरकार से राज्य शासन को अंतरण का विवरण तालिका 1.17 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.17: केन्द्रीय कर/शुल्क अंतरण में प्रवृत्तियां					
(₹ करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कुल केन्द्रीय कर अंतरण	24,107	38,398	46,064	50,853	57,487
केन्द्रीय माल एवं सेवा कर	-	-	-	716	14,188
एकीकृत माल एवं सेवा कर	-	-	-	5,132	1,132
सेवा कर	3,554	6,656	7,434	5,795	531
निगम कर से भिन्न आय पर कर	6,011	8,400	10,252	13,147	14,722
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	2,202	5,100	7,246	5,363	2,708
निगम कर	8,418	12,078	14,752	15,569	19,990
सम्पत्ति पर कर	23	3	34	0	7
सीमा शुल्क	3,899	6,134	6,346	5,131	4,075
उत्पादों एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	0	27	0	0	30
आय और व्यय पर अन्य कर	0	0	0	0	104

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 में केन्द्रीय कर अंतरण में वृद्धि मुख्यतः केन्द्रीय माल एवं सेवा कर (₹13,472 करोड़), निगम कर (₹4,421 करोड़) और आय एवं व्यय पर अन्य करों (₹104 करोड़) के अंतर्गत थी जो कि मुख्यतः सेवा कर (₹5,264 करोड़) एकीकृत माल एवं सेवा कर (₹4,000 करोड़) एवं केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों (₹2,655 करोड़) के अंतर्गत करों के संग्रहण में कमी द्वारा समायोजित किया गया था।

1.7.2.4 माल एवं सेवा कर की स्थिति

माल एवं सेवा कर (जी.एस.टी.) 1 जुलाई 2017 से लागू किया गया था। माल एवं सेवा कर (राज्यों को प्रतिपूर्ति) अधिनियम 2017 के अनुसार केन्द्र सरकार राज्यों को पाँच वर्ष की अवधि के लिए माल एवं सेवा कर के क्रियान्वयन के कारण हुई हानि की प्रतिपूर्ति करेगी। अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, आधार वर्ष (2015-16) के राजस्व ₹15,329 करोड़ पर प्रतिवर्ष 14 प्रतिशत की अनुमानित वृद्धि दर लागू करते हुए वर्ष 2018-19 के लिए मध्य प्रदेश का अनुमानित राजस्व ₹22,711 करोड़ परिकलित किया गया था।

2018-19 के दौरान, राज्य शासन को मुख्य शीर्ष '0006 राज्य माल एवं सेवा कर' के अन्तर्गत राजस्व के रूप में ₹18,508 करोड़ (आई.जी.एस.टी. के अग्रिम विभाजन के लिए ₹2,147 करोड़ सहित) प्राप्त हुए थे। आगे, वर्ष के दौरान, भारत सरकार ने जी.एस.टी. के क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न हुई राजस्व हानि की प्रतिपूर्ति के रूप में ₹2,866 करोड़ जारी किए।

माल एवं सेवा कर के एकत्रण के स्वचालन के आरंभ के साथ, लेखापरीक्षा के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी लेन-देनों की नमूना जांच में परिवर्तन कर, व्यापक जांच करे ताकि, नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के लेखों को प्रमाणित करने के संवैधानिक अधिदेश की पूर्ति हो सके। डाटा का अपेक्षित अभिगम प्रदान किया जाना बाकी था। समस्त माल एवं सेवा कर लेन-देनों का अभिगम प्राप्त न होने के कारण, माल एवं सेवा कर प्राप्तियों की व्यापक रूप से लेखापरीक्षा नहीं की जा सकी। इस प्रकार, वर्ष 2018-19 के लिए वित्त लेखों को नमूना लेखापरीक्षा के आधार पर

एक बार अपवाद के रूप में प्रमाणित किया गया, जैसा कि तब किया जाता था जब अभिलेखों को हाथों से (manually) संधारित किया जाता था।

1.7.3 पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ

2014-19 की पाँच वर्ष की अवधि के दौरान पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत राज्य शासन की प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ तालिका 1.18 में दी गई हैं:

तालिका 1.18: पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की प्रवृत्तियाँ					
(₹ करोड़ में)					
राज्य की प्राप्तियों के स्रोत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
विविध पूंजीगत प्राप्तियाँ	28	26	24	19	13
अंतर्राज्यीय परिशोधन	1	2	-	-	-
कर्ज एवं अग्रिमों की वसूली	6,765 ⁸	162	772 ⁹	5,070 ¹⁰	70
(क) ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियाँ	6,794	190	796	5,089	83
ऋणोत्तर पूंजीगत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	5,086.26	(-97.20)	318.95	539.32	(-98.37)
आंतरिक ऋण	13,697	18,659	28,581	19,975	28,701
केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम	1,372	1,326	1,267	1,917	3,796
(ख) लोक ऋण प्राप्ति	15,069	19,985	29,847	21,892	32,497
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियाँ (क+ख)	21,863	20,175	30,643	26,981	32,580
लोक ऋण प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	57.94	32.62	49.35	(-26.65)	48.44
पूंजीगत अनुभाग के अंतर्गत प्राप्तियों की संवृद्धि दर (प्रतिशत)	126.04	(-7.72)	51.89	(-11.95)	20.75

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.7.3.1 आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ

वर्ष 2014-19 के दौरान आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियों का विवरण तालिका 1.19 में दिया गया है।

तालिका 1.19: आंतरिक स्रोतों से ऋण प्राप्तियाँ					
(₹ करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
बाजार उधारियाँ	10,300	14,700	16,100	15,000	20,496
भारतीय रिजर्व बैंक से अर्धोपाय अग्रिम	-	-	-	-	3,376
वित्तीय संस्थानों से कर्ज	1,483	2,075	2,603	2,101	1,858
क्षतिपूर्ति एवं अन्य बॉन्ड	-	-	7,360	-	-
राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	1,914	1,884	2,518	2,874	2,971
आंतरिक स्रोतों से कुल ऋण प्राप्तियाँ	13,697	18,659	28,581	19,975	28,701

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

वर्ष 2018-19 के दौरान, राज्य शासन 25 दिनों के लिये भारतीय रिजर्व बैंक के साथ ₹1.96 करोड़ के न्यूनतम शेष का संधारण करने में सक्षम नहीं थी। इसलिए वर्ष 2018-19 के दौरान राज्य शासन ने भारतीय रिजर्व बैंक से साधारण अर्धोपाय अग्रिम राशि ₹3,376 करोड़ प्राप्त किया था। ब्याज ₹1.16 करोड़ सहित सम्पूर्ण राशि का पुनर्भुगतान कर दिया गया था। किसी भी विशेष दिवस पर प्राप्त साधारण अर्धोपाय अग्रिम अधिकतम सीमा ₹1,600 करोड़ से अधिक नहीं रहा था।

⁸ इसमें से ₹6,694 करोड़ 'ऊर्जा परियोजना के लिये ऋण' की वसूली से सम्बंधित है

⁹ इसमें से ₹507 करोड़ 'कृषि एवं सहायक गतिविधियों के ऋणों' की वसूली से सम्बंधित है

¹⁰ इसमें से ₹4,622 करोड़ 'ऊर्जा परियोजना के लिये ऋण' की वसूली से सम्बंधित है

1.7.3.2 भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम

राज्य शासन द्वारा भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम में मुख्य रूप से राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की योजनाओं के लिये कर्ज शामिल है। अवधि 2014-15 से 2018-19 के दौरान भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिमों का विवरण तालिका 1.20 में दिया गया है।

तालिका 1.20: भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम					
(₹ करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिम	1,372	1,326	1,267	1,917	3,796

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान भारत सरकार से कर्ज एवं अग्रिमों में वृद्धि बैंक टू बैंक बेसिस लोन के अंतर्गत ₹1,879 करोड़ से अधिक प्राप्ति के कारण थी।

1.7.3.3 लोक लेखा प्राप्तियाँ

अल्प बचत, भविष्य निधि एवं आरक्षित निधियाँ इत्यादि के अंतर्गत प्राप्तियाँ एवं संवितरण जो समेकित निधि के भाग नहीं हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 266(2) के अंतर्गत स्थापित लोक लेखे में रखे जाते हैं एवं ये राज्य विधानसभा द्वारा वोट के अधीन नहीं है। इन लेखों के संबंध में शासन एक बैंकर या ट्रस्टी की तरह कार्य करती है। लोक लेखों के अंतर्गत प्राप्तियों एवं संवितरणों की स्थिति वित्त लेखे के विवरण पत्रक 21 में दर्शाई गई है तथा विवरण तालिका 1.21 में दिया गया है।

तालिका 1.21: लोक लेखे (निवल) की स्थिति					
(₹ करोड़ में)					
विभिन्न शीर्षों के अंतर्गत संसाधन	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक लेखे (निवल)	2,130	4,435	2,837	2,772	2,968
(क) अल्प बचतें, भविष्य निधि इत्यादि	963	1,024	813	680	2,249
(ख) आरक्षित निधि	144	1,733	(-)498	(-)1,038	590
(ग) जमा एवं अग्रिम	618	574	3,436	2,316	164
(घ) उचंचत एवं विविध	462	1,457	(-)842	110	(-)677
(ङ.) प्रेषण	(-)57	(-)353	(-)72	704	642

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

1.8 विभाग द्वारा कर के अपवंचन का पता लगाना

31 मार्च 2019 की स्थिति में खनन विभाग, पंजीयन एवं स्टाम्प विभाग और वाणिज्य कर विभाग द्वारा प्रतिवेदित किए गए, कर अपवंचन के प्रकरण, अंतिम रूप दिए गए प्रकरण और अतिरिक्त कर के लिये जारी की गई मांगों का विवरण तालिका 1.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.22: कर अपवंचन						
राजस्व प्रकृति	31.03.2018 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या	2018-19 के दौरान पता चले प्रकरणों की संख्या	कुल प्रकरणों की संख्या	उन मामलों की संख्या जिनमें जांच पूरी हुई और जुर्माना सहित अतिरिक्त मांग को उठाया गया		31.03.2019 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
				प्रकरणों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
खनन	3,625	16,504	20,129	15,298	52.37	4,831
स्टाम्प एवं पंजीयन शुल्क	13,353	10,304	23,657	9,720	52.93	13,937
वाणिज्य कर*	510	73	583	383	40.15	200
कुल	17,488	26,881	44,369	25,401	145.45	18,968

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा प्रदत्त जानकारी)

* इसमें मूल्य वर्धित कर, प्रवेश शुल्क, केन्द्रीय माल एवं सेवा कर शामिल हैं।

1.9 संग्रहण लागत

2018-19 के दौरान मुख्य राजस्व प्राप्तियों के संबंध में संग्रहण एवं उसकी लागत का विवरण नीचे तालिका 1.23 में दर्शाया गया है:

तालिका 1.23: संग्रहण लागत				
विवरण	कुल संग्रहण	संग्रहण पर व्यय	कुल संग्रहण के सापेक्ष संग्रहण लागत का प्रतिशत	वित्त वर्ष का अखिल भारतीय औसत
	(₹ करोड़ में)			
बिक्री, व्यापार आदि पर कर/राज्य माल और सेवा कर	28,411	207.07	0.73	0.69
वाहन कर	3,008	55.91	1.86	2.61
राज्य उत्पाद शुल्क	9,542	140.56	1.47	1.83
स्टाम्प तथा पंजीकरण शुल्क	5,278	61.35	1.16	2.96


(स्रोत: 2018-19 के वित्त लेखे)


मुख्य राजस्व शीर्षों के अंतर्गत राज्य का संग्रहण लागत, अखिल भारतीय औसत संग्रहण लागत से बिक्री, व्यापार आदि पर कर/राज्य माल और सेवा कर को छोड़कर उल्लेखनीय रूप से कम था।

1.10 संसाधनों का अनुप्रयोग

1.10.1 व्यय की वृद्धि एवं संरचना

2014-19 के दौरान कुल व्यय तथा गतिविधिवार व्यय की प्रवृत्ति एवं संरचना को क्रमशः चार्ट 1.11 एवं 1.12 में प्रदर्शित किया गया है।





1.10.2 पूंजीगत व्यय

पूंजीगत व्यय का विवरण तालिका 1.24 में दिया गया है:

तालिका 1.24: पूंजीगत व्यय का विवरण					
(₹ करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूंजीगत व्यय	11,878	16,835	27,288	30,913	29,424
पूंजीगत व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.85	41.73	62.09	13.28	(-4.82)
पूंजीगत व्यय, वर्तमान मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रतिशत के रूप में (प्रतिशत में)	2.47	3.11	4.21	4.24	3.64
राजस्व अधिशेष	6,268	5,740	3,770 ¹¹	4,629	6,744

(स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2014-15 से 2017-18 के दौरान पूंजीगत व्यय में उल्लेखनीय रूप से वृद्धि हुई, जो पूंजीगत व्यय को वित्तपोषित करने के लिये राजस्व अधिशेष की उपयोगिता को दर्शाता है। तथापि, यह पिछले वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान ₹1,489 करोड़ (4.82 प्रतिशत) से कम हुआ, जो कि ऊर्जा के अन्तर्गत ₹5,207 करोड़ कम व्यय होने के कारण था। यह मुख्य रूप से उदय के अंतर्गत 2017-18 के दौरान ₹4,622 करोड़ के व्यय की तुलना में 2018-19 के दौरान कोई व्यय नहीं होने के कारण था।

1.10.3 राजस्व व्यय

राजस्व व्यय का विवरण तालिका 1.25 में दिया गया है।

तालिका 1.25: राजस्व व्यय का विवरण					
(₹ करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व व्यय	82,373	99,771	1,19,537	1,30,246	1,42,149
राजस्व व्यय की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	17.89	21.12	19.81	8.96	9.14

(स्रोत: सम्बंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2018-19 के दौरान राजस्व व्यय में वृद्धि मुख्यतः कृषि एवं संबद्ध क्रियाकलाप (₹3,675 करोड़ से), पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ (₹2,694 करोड़ से), शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति (₹2,521 करोड़ से), ब्याज भुगतान (₹1,650 करोड़ से) तथा पुलिस (₹860 करोड़ से) के अन्तर्गत थी।

¹¹ उदय के प्रभाव को सम्मिलित कर, उदय के प्रभाव को छोड़ने पर राजस्व अधिशेष ₹7,781 करोड़ था।

1.10.4 प्रतिबद्ध व्यय


प्रतिबद्ध व्यय राजस्व व्यय का मुख्य संघटक है तथा 2018-19 के दौरान इसमें राजस्व व्यय (₹1,42,149 करोड़) का 51.47 प्रतिशत प्रयुक्त हुआ। तालिका 1.26 2014-19 के दौरान प्रतिबद्ध व्यय के अंतर्गत प्रवृत्तियों को प्रस्तुत करती है तथा चार्ट 1.13 राजस्व व्यय में प्रतिबद्ध व्यय के संघटकों के हिस्से को दर्शाती है।

तालिका 1.26: प्रतिबद्ध व्यय में संघटकों की प्रवृत्तियाँ						
प्रतिबद्ध व्यय के संघटक	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	₹ करोड़ में)	
					2018-19	
					बजट आकलन	वास्तविक आंकड़े
वेतन* एवं मजदूरी	19,997 (22.56)	20,554 (19.48)	21,577 (17.50)	24,026 (17.81)	31,920 (20.48)	27,256 (18.31)
ब्याज भुगतान	7,071 (7.98)	8,091 (7.67)	9,079 (7.36)	11,045 (8.19)	12,867 (8.25)	12,696 (8.53)
पेंशन भुगतान	6,836 (7.71)	7,819 (7.41)	8,793 (7.13)	9,290 (6.89)	12,557 (8.06)	11,984 (8.05)
राजसहायताएं	9,954 (11.23)	11,725 (11.11)	16,512 (13.39)	19,381 (14.37)	22,510 (14.44)	21,222 (14.25)
कुल	43,858 (49.48)	48,189 (45.67)	55,961 (45.38)	63,742 (47.26)	79,854 (51.23)	73,158 (49.13)
राजस्व व्यय से प्रतिबद्ध व्यय का प्रतिशत	53.24	48.30	46.81	48.94	51.31	51.47

टिप्पणी: कोष्ठकों के आंकड़े राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत को दर्शाते हैं

*सहायतानुदान से भुगतान किए गए वेतन भी सम्मिलित है।

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेख एवं 2018-19 की बजट पुस्तिकाएं)



1.10.4.1 वेतन एवं मजदूरी

2018-19 के दौरान वेतन एवं मजदूरी पर व्यय में विगत वर्ष की तुलना में 13.44 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो कि 2017-18 में 11.35 प्रतिशत थी। तथापि वेतन एवं मजदूरी पर वास्तविक व्यय राज्य शासन द्वारा मध्यम कालिक राजकोषीय नीति विवरण (₹31,920 करोड़) में किये गये मूल्यांकन से ₹4,664 करोड़ कम था।

1.10.4.2 ब्याज भुगतान

2014-19 के दौरान, ब्याज भुगतान में संयोजित वार्षिक वृद्धि दर 15.76 प्रतिशत की दर से ₹5,625 करोड़ की वृद्धि हुई। 2018-19 में ब्याज भुगतान का मुख्य संघटक बाजार के ऋण पर ब्याज (₹7,330 करोड़) था।

1.10.4.3 राजसहायताएं

2018–19 के दौरान राजसहायताओं पर राज्य शासन द्वारा भुगतान की गई राजसहायताओं का विभागावार/शीर्षवार विवरण वित्त लेखे के परिशिष्ट II में दिया गया है। मुख्य गतिविधियां जिन्हें राजसहायता दी गई वे ऊर्जा: ₹9,684 करोड़ (45.63 प्रतिशत); कृषक कल्याण एवं कृषि विकास गतिविधियां: ₹5,708 करोड़ (26.90 प्रतिशत) एवं उद्यानिकी तथा खाद्य प्रसंस्करण: ₹932 करोड़ (4.39 प्रतिशत) के अंतर्गत थी।

1.10.4.4 पेंशन भुगतान

2018–19 के दौरान, पेंशन भुगतान पर व्यय ₹11,983.83 करोड़ था, जिसमें से ₹728.88 करोड़, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.) पर खर्च किया गया था, जिस पर नीचे चर्चा की गयी है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली (एन.पी.एस.)

नवीन पेंशन योजना को 1 जनवरी 2005 से प्रारंभ में शासकीय कर्मचारियों के लिये अभिकल्पित किया गया था। आगे इसे, 2009 में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के रूप में पुनर्संरचित किया गया। योजना के अनुसार कर्मचारी मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते का 10 प्रतिशत अंशदान करता है जिसमें राज्य शासन द्वारा समरूप अंश मिलाया जाता है और संपूर्ण राशि मनोनीत निधि प्रबंधक को राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड (एन.एस.डी.एल.) के माध्यम से अंतरित की जाती है।

2018–19 के दौरान कुल संग्रहित अंशदान ₹1,153.70 करोड़ (कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान) में से राज्य शासन ने एन.एस.डी.एल. को मात्र ₹1,040.60 करोड़ ही अंतरित किया था। इस प्रकार 2018–19 के दौरान योजना के प्रावधानों के अनुसार आगे निवेश के लिए मनोनीत प्राधिकारी को ₹113.10 करोड़ कम अंतरण किया गया था। इस प्रकार वर्तमान देयताएं भविष्य के वर्षों के लिए स्थगित है। आगे, राज्य शासन ने राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित नहीं की गई राशि पर परिहार्य ब्याज देयताएं सृजित की है।

राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती न किया जाना

2018–20 के दौरान मध्य प्रदेश में पुलिस अधीक्षक/सेनानी, विशेष सशस्त्र बल/हॉक फोर्स के कुल 102¹² कार्यालयों में से 86¹³ कार्यालयों (84 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गयी। इन कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि छह कार्यालयों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती नहीं हुई, जहाँ नियोक्ता ने 3,310 कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग एवं महंगाई भत्ते के बकाए से न तो राशि ₹35.54 लाख के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान की कटौती की और न ही समान अंशदान का मिलान किया। विवरण **तालिका 1.27 के भाग (क)** में दिया गया है।

इसी प्रकार, 2018–20 के दौरान खण्ड शिक्षा अधिकारियों (बी.ई.ओ.) के कुल 322 कार्यालयों में से 143 कार्यालयों (44 प्रतिशत) की लेखापरीक्षा की गयी। इन कार्यालयों की लेखापरीक्षा के दौरान, लेखापरीक्षा ने पाया कि पाँच कार्यालयों में राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की कटौती नहीं हुई, जहाँ नियोक्ता ने 140 कर्मचारियों के वेतन से न तो राशि ₹25.39 लाख के एन.पी.एस. अंशदान की कटौती की और न ही समान अंशदान का मिलान किया। विवरण **तालिका 1.27 के भाग (ख)** में दिया गया है।

¹² पुलिस अधीक्षक के 77 कार्यालय, सेनानी, विशेष सशस्त्र बल के 24 कार्यालय और सेनानी हॉक फोर्स का एक कार्यालय शामिल है।

¹³ पुलिस अधीक्षक के 66 कार्यालय, सेनानी, विशेष सशस्त्र बल के 19 कार्यालय और सेनानी हॉक फोर्स का एक कार्यालय शामिल है।

तालिका 1.27: 7वें वेतन आयोग के बकायों/वेतन से एन.पी.एस. की कटौती नहीं किये जाने का इकाईवार विवरण							
(₹ लाख में)							
स. क्र.	कार्यालय का नाम	लेखापरीक्षा का वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	अवधि जिस के दौरान कटौती नहीं की गई	कर्मचारी अंशदान जिसकी कटौती नहीं की गई	नियोक्ता का समरूप अंशदान	एन.एस.डी. एल. को अंतरित नहीं की गई राशि
(क) 7वें वेतन आयोग के बकायों से एन.पी.एस. की कटौती न होने वाले प्रकरण							
1.	पुलिस अधीक्षक, मुरैना	2018-19	672	जुलाई 2017 से सितम्बर 2017	9.22	9.22	18.44
2.	पुलिस अधीक्षक, मन्दसौर	2018-19	571	जुलाई 2017 से सितम्बर 2017	6.45	6.45	12.90
3.	सेनानी, हॉक फोर्स, भोपाल	2019-20	787	जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017	6.17	6.17	12.34
4.	सेनानी, 8वां बटालियन, एस.ए.एफ, छिन्दवाड़ा	2018-19	399	जुलाई 2017 से अगस्त 2017	2.66	2.66	5.32
5.	पुलिस अधीक्षक, खण्डवा	2019-20	474	जुलाई 2017 से नवम्बर 2017	5.97 ¹⁴	5.97	11.94
6.	पुलिस अधीक्षक, बुरहानपुर	2019-20	407	जुलाई 2017 से अक्टूबर 2017	5.07	5.07	10.14
योग (क)			3,310		35.54	35.54	71.08
(ख) वेतन से एन.पी.एस की कटौती न होने वाले प्रकरण							
1.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, पथरिया, जिला- दमोह	2019-20	14	अप्रैल 2017, जून 2017 और अगस्त 2017	0.92	0.92	1.84
2.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, हट्टा, जिला- दमोह	2018-19	51	जून 2017 और अगस्त 2017	1.22	1.22	2.44
3.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, मालथौन, जिला- सागर	2019-20	30	अगस्त 2018	0.75	0.75	1.50
4.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, गुना	2018-19	28	नवम्बर 2014 से अगस्त 2018	15.54	15.54	31.08
5.	विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी, कुरवाई, विदिशा	2018-19	17	मार्च 2017 से सितम्बर 2018	6.96	6.96	13.92
योग (ख)			140		25.39	25.39	50.78
महायोग (क एवं ख)			3,450		60.93	60.93	121.86

(स्रोत: संबंधित विभागों द्वारा दी गई जानकारी)

¹⁴ महंगाई भत्ते के बकाए से सम्बन्धित ₹0.62 लाख सहित

तालिका 1.27 से यह देखा जा सकता है कि नियोक्ताओं ने 3,450 राज्य शासकीय कर्मचारियों के 7वें वेतन आयोग के बकायों एवं वेतन से न तो राशि ₹60.93 लाख के अंशदान की कटौती की और न ही शासन ने समान अंशदान का मिलान किया जिसके परिणामस्वरूप राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड/ट्रस्टी बैंक को ₹121.86 लाख का कम अंतरण हुआ। इसने शासकीय कर्मचारियों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लाभ से वंचित किया।

इंगित किये जाने पर, पुलिस अधीक्षक एवं सेनानियों ने उत्तर दिया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन सूचना प्रणाली (आई.एफ.एम.आई.एस.) सॉफ्टवेयर में बकायों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली अंशदान की कटौती के लिये प्रावधानों की अनुपलब्धता के कारण कटौती नहीं की जा सकी तथा विकास खण्ड शिक्षा अधिकारी ने उत्तर दिया कि अंशदान की कटौती स्थाई निवृत्ति खाता संख्या (पी.आर.ए.एन.) की प्राप्ति न होने के कारण नहीं की जा सकी।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि प्रमुख सचिव वित्त विभाग ने समस्त विभागाध्यक्षों को राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के अभिदाताओं के बकायों को पूर्व पद्धति के अनुसार आहरित करने हेतु निर्देशित (सितम्बर 2017) किया था, जब तक कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर में आवश्यक बदलाव नहीं किया जाता। आगे, सचिव, वित्त विभाग ने अपने आदेश (जनवरी 2016) में स्थाई निवृत्ति खाता संख्या बनाने के लिए कर्मचारी की नियुक्ति दिनांक से 20 दिन का समय निर्धारित किया था।

1.10.5 सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता

2014–15 एवं 2018–19 के दौरान विकास व्यय, सामाजिक सेवा व्यय एवं पूंजीगत व्यय के संबंध में राज्य शासन की राजकोषीय प्राथमिकताओं का विश्लेषण **तालिका 1.28** में किया गया है।

तालिका 1.28: 2014–15 एवं 2018–19 में राज्य की राजकोषीय प्राथमिकता							
(प्रतिशत में)							
राजकोषीय प्राथमिकता (सकल राज्य घरेलू उत्पाद के सापेक्ष प्रतिशतता)	कुल व्यय/ सकल राज्य घरेलू उत्पाद	विकास व्यय#/ कुल व्यय	सामाजिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	आर्थिक क्षेत्र का व्यय/ कुल व्यय	पूंजीगत व्यय/ कुल व्यय	शिक्षा पर व्यय/ कुल व्यय	स्वास्थ्य पर व्यय/ कुल व्यय
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2014–15	15.99	68.51	36.15	32.36	14.02	16.54	4.92
मध्य प्रदेश का अनुपात 2014–15	22.25	74.86	31.98	42.88	11.12	15.50	4.46
सामान्य संवर्ग के राज्यों का औसत (अनुपात) 2018–19	16.05	67.04	36.59	30.45	14.28	14.99	5.07
मध्य प्रदेश का अनुपात 2018–19	21.33	73.03	37.46	35.57	17.04	15.74	4.48

विकास व्यय में विकास राजस्व व्यय, विकास पूंजीगत व्यय तथा संवितरित कर्ज एवं अग्रिम सम्मिलित है।

2018–19 में मध्य प्रदेश के सार्वजनिक व्यय की पर्याप्तता दर्शाने वाला अनुपात सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत से, स्वास्थ्य क्षेत्र को छोड़कर अधिक था।

1.10.6 व्यय के उपयोग की दक्षता

सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं के संधारण पर पूंजीगत एवं राजस्व व्यय का विवरण नीचे **तालिका 1.29** में दिया गया है:

तालिका 1.29: चयनित सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं में व्यय के उपयोग की दक्षता						
सामाजिक/आर्थिक अधोसंरचना	2017-18			2018-19		
	कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)		कुल व्यय के सापेक्ष पूंजीगत व्यय का अनुपात	राजस्व व्यय (₹ करोड़ में)	
		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख-रखाव		वेतन एवं मजदूरी	प्रचालन तथा रख-रखाव
कुल (सामाजिक सेवाएं)	8.38	12,565	429	8.84	14,061	356
कुल (आर्थिक सेवाएं)	42.25	3,842	1,250	37.42	4,201	954
कुल (सामाजिक सेवाएं+आर्थिक सेवाएं)	24.60	16,408	1,679	22.76	18,262	1,310
सामाजिक सेवा के मुख्य संघटक						
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	2.82	8,232	28	3.47	9,105	30
स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण	13.96	2,828	19	15.74	3,223	16
जल आपूर्ति, सफाई, आवास तथा नगरीय विकास	11.91	323	363	16.66	376	285
अन्य सामाजिक सेवाएं	10.35	1,183	19	6.18	1,357	25
आर्थिक सेवा के मुख्य संघटक						
कृषि तथा संबद्ध क्रियाकलाप	3.18	2,424	16	10.68	2,581	15
सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	92.51	660	74	88.76	715	65
विद्युत तथा ऊर्जा	36.84	1	19	17.85	1	12
परिवहन	85.31	82	490	87.03	157	364
अन्य आर्थिक सेवाएं	20.98	676	651	25.93	747	498

(स्रोत: वित्त लेखे एवं प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)-1, मध्य प्रदेश के व्ही.एल.सी. आंकड़े 2017-18 एवं 2018-19)

- विगत वर्ष की तुलना में 2018-19 के दौरान कुल व्यय के सापेक्ष में पूंजीगत व्यय का अंश सामाजिक सेवाओं के अंतर्गत 0.46 प्रतिशत से बढ़ा और आर्थिक सेवाओं के अंतर्गत 4.83 प्रतिशत से कम हुआ।
- 2017-18 की तुलना में 2018-19 में राजस्व व्यय के अंतर्गत वेतन और मजदूरी का अंश ₹1,854 करोड़ (11.30 प्रतिशत) से बढ़ा। राजस्व व्यय में प्रचालन तथा रख-रखाव व्यय का कुल अंश ₹369 करोड़ (21.98 प्रतिशत) से कम हुआ।

1.11 शासकीय व्यय एवं निवेश

1.11.1 सिंचाई कार्यों के वित्तीय परिणाम

तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग द्वारा सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली दर (राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों) का निर्धारण इन परियोजनाओं की वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आंकलन हेतु किया गया था। 2014-19 की अवधि के लिए राज्य में सिंचाई परियोजनाओं के वित्तीय परिणाम तालिका 1.30 में दर्शित है।

तालिका 1.30: सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली स्थिति				
वर्ष	राजस्व प्राप्तियाँ	राजस्व व्यय	तेरहवें वित्त आयोग (2010-15)/चौदहवें वित्त आयोग (2015-20) की लागत वसूली आंकलन	राजस्व व्यय के सापेक्ष राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत
1	2	3	4	5
₹ करोड़ में		प्रतिशत में		
2014-15	437	839	75.00	52.09
2015-16	483	625	35.00	77.28
2016-17	574	680	35.00	84.41
2017-18	524	637	35.00	82.26
2018-19	809	1,052	35.00	76.90

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखें तथा तेरहवें एवं चौदहवें वित्त आयोग का प्रतिवेदन)

जैसा कि उपर्युक्त तालिका से देखा जा सकता है राज्य में सिंचाई परियोजनाओं की लागत वसूली 2014-15 के दौरान तेरहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन से कम था। यद्यपि, 2015-16 से इसमें सुधार हुआ और 2015-19 के दौरान यह चौदहवें वित्त आयोग द्वारा किए गए मूल्यांकन से अधिक था।

1.11.2 अपूर्ण परियोजनाएं

अपूर्ण कार्यों पर निधियों को अवरुद्ध रखने से व्यय की गुणवत्ता नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। 31 मार्च 2019 तक वित्त लेखों में दिए गए अपूर्ण परियोजनाओं के विवरण को तालिका 1.31 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.31: 31 मार्च 2019 को अपूर्ण परियोजनाओं की विभागवार रूपरेखा							
(₹ करोड़ में)							
विवरण	अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	सभी अपूर्ण परियोजनाओं की प्रारंभिक बजट लागत	सभी अपूर्ण परियोजनाओं का संचयी वास्तविक व्यय	परियोजनाओं की संख्या जिसके लिए लागत पुनरीक्षित की गयी थी	परियोजना की आंकलित लागत जिसके लिए लागत पुनरीक्षित की गयी थी		
					आरंभिक	पुनरीक्षित आंकलित लागत	लागत वृद्धि
सिंचाई	33	3,463.98	2,803.76	05	567.58	1,503.81	936.23
लोक निर्माण विभाग	22	217.44	146.77	01	12.00	16.47	4.47
कुल	55	3,681.42	2,950.53	06	579.58	1,520.28	940.70

(स्रोत: वित्त लेखे 2018-19 का परिशिष्ट IX)

तालिका 1.31 से यह देखा जा सकता है कि परियोजनाओं की पूर्णता में विलंब के परिणामस्वरूप परिकल्पित लाभ में विलंब के अलावा छह परियोजनाओं में ₹940.70 करोड़ की लागत वृद्धि हुई।

1.11.3 निवेश एवं प्रतिलाभ

31 मार्च 2019 तक, शासन ने ₹35,240.10 करोड़ का निवेश 41 शासकीय कंपनियों (₹24,349.56 करोड़), 34 सांविधिक निगमों (₹9,259.66 करोड़), 130 सहकारी संस्थाओं (₹1,629.57 करोड़) एवं 24 संयुक्त स्टॉक कंपनियों और साझेदारियों (₹1.31 करोड़) में किया था।

2014-19 के दौरान निवेशों पर प्रतिलाभ/प्राप्त ब्याज की स्थिति तालिका 1.32 में दी गई है।

तालिका 1.32: निवेशों पर प्रतिलाभ					
निवेश/प्रतिलाभ/उधारियों की लागत	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
वर्ष के अंत में निवेश (₹ करोड़ में)	15,029	15,524	21,827	29,537	35,240
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (₹ करोड़ में)	80.35	129.64	231.50	622.36	347.26
लाभांश/ब्याज प्राप्ति (प्रतिशत)	0.53	0.83	1.06	2.11	0.99
शासन द्वारा लिए गए उधारों पर औसत ब्याज दर ¹⁵ (प्रतिशत)	6.88	6.86	6.42	6.73	6.92
बाजार उधारियों पर ब्याज दर तथा निवेश पर प्रतिलाभ की दर के मध्य अंतर (प्रतिशत)	6.35	6.03	5.36	4.62	5.93

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

¹⁵ ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताएं + चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं)/2]*100

2018-19 के दौरान, इन निवेशों पर प्रतिलाभ 0.99 प्रतिशत था, जबकि शासन ने वर्ष के दौरान अपनी उधारियों पर 6.92 प्रतिशत की औसत दर से ब्याज का भुगतान किया था।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि इस संबंध में आवश्यक कार्यवाही की जायेगी। हालांकि, इन संस्थानों में निवेश का उद्देश्य लाभ अर्जित करना नहीं था, बल्कि लोकहित को देखना था।

1.11.4 राज्य शासन द्वारा कर्ज एवं अग्रिम

तालिका 1.33, 31 मार्च 2019 की स्थिति में बकाया कर्ज एवं अग्रिमों तथा विगत पाँच वर्षों के दौरान ब्याज प्राप्तियों के सापेक्ष ब्याज भुगतान प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.33: राज्य शासन द्वारा बकाया कर्ज एवं अग्रिम तथा ब्याज प्राप्तियाँ एवं भुगतान					
(₹ करोड़ में)					
कर्ज/ब्याज प्राप्तियाँ/उधारियों की लागत की मात्रा	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
कर्ज एवं अग्रिम का प्रारंभिक शेष	32,072	37,842	40,827¹⁶	44,989¹⁷	41,124¹⁸
वर्ष के दौरान संवितरित राशि	12,535	3,158	4,941	1,550	1,090
वर्ष के दौरान वसूली की राशि	6,765	162	772	5,070	70
कर्ज तथा अग्रिम का अंतिम शेष	37,842	40,838	44,996	41,469	42,144
कर्ज तथा अग्रिम का निवल संयोजन	5,770	2,996	4,169	(-3,520)	1,020
ब्याज प्राप्तियाँ	1,058	139	62	97	235
बकाया कर्ज तथा अग्रिमों की प्रतिशतता के रूप में ब्याज प्राप्तियाँ	2.80	0.34	0.14	0.23	0.56
शासकीय उधारियों पर ब्याज की औसत दर (प्रतिशत)	6.88	6.86	6.42	6.73	6.92
बाजार उधारियों पर ब्याज दर एवं कर्जों पर प्राप्त ब्याज के मध्य अन्तर (प्रतिशत)	4.08	6.52	6.28	6.50	6.36

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2018-19 के दौरान 6.92 प्रतिशत की दर से उधार पर दिये गये औसत ब्याज को दृष्टिगत रखते हुए शासन द्वारा दिये गये कर्ज एवं अग्रिमों पर प्राप्त ब्याज की दर मात्र 0.56 प्रतिशत थी।

शासन द्वारा दिए गए कर्जों एवं अग्रिमों का विवरण वित्त लेखे के विवरण पत्रक 18 के भाग 1 में विस्तार से दिया गया है।

1.11.5 रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश

तालिका 1.34 2018-19 के दौरान रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों में से राज्य शासन द्वारा किए गए निवेशों का चित्रण करती है।

¹⁶ छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभ शेष ₹10.21 करोड़ से कम हुआ

¹⁷ छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभ शेष ₹6.74 करोड़ से कम हुआ

¹⁸ छत्तीसगढ़ को प्रोफॉर्मा अंतरण के कारण प्रारंभ शेष ₹345.35 करोड़ से कम हुआ

तालिका 1.34: रोकड़ शेष एवं रोकड़ शेषों का निवेश		
(₹ करोड़ में)		
विवरण	1 अप्रैल 2018 को प्रारंभिक शेष	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष
(अ) सामान्य रोकड़ शेष		
कोषालयों में रोकड़	--	--
रिजर्व बैंक में जमा	(-)693.65	(-)3,663.52 ¹⁹
पारगमन में प्रेषण— स्थानीय	--	--
कुल	(-)693.65	(-)3,663.52
रोकड़ शेष निवेश लेखे में हुए निवेश	7,412.19	8,638.46
कुल (अ)	6,718.54	4,974.94
(ब) अन्य रोकड़ शेष एवं निवेश		
विभागीय रोकड़ शेष	(-)0.23	(-)3.17
स्थायी पेशगी	0.83	0.83
उद्दिष्ट निधि से निवेश	416.42	416.42
कुल (ब)	417.02	414.08
महायोग (अ)+(ब)	7,135.56	5,389.02

(स्रोत: 2017-18 एवं 2018-19 के वित्त लेखे)

विगत पाँच वर्षों के दौरान समापन रोकड़ शेष की स्थिति ₹5,401.96 करोड़ (मार्च 2015 को) से ₹10,993.66 करोड़ (मार्च 2017 को) तक वृद्धि की प्रवृत्ति तथा उसके बाद ₹5,389.02 करोड़ (मार्च 2019 को) तक कमी/गिरावट की प्रवृत्ति को प्रदर्शित किया। 2018-19 के दौरान रोकड़ शेष 2017-18 की तुलना में ₹1,746.54 करोड़ से घटकर ₹7,135.56 करोड़ के प्रारंभिक रोकड़ शेष से ₹5,389.02 करोड़ अन्तिम रोकड़ शेष रह गया। यह प्रशंसनीय है कि राज्य शासन ने अपना शेष ₹1,746.54 करोड़ से कम किया। रोकड़ शेष निवेश ₹10,628 करोड़ (31 मार्च 2017 को) से घटकर 31 मार्च 2019 को ₹8,638.46 करोड़ हो गया, जिसमें मार्च 2019 की स्थिति में राज्य शासन के आंतरिक ऋण (₹28,701 करोड़) का 30.01 प्रतिशत समाहित था। आधिक्य रोकड़ शेष को भारत सरकार के ट्रेजरी बिल में निवेश किया गया।

निवेश खाते में आधिक्य रोकड़ शेष ₹8,638.46 करोड़ था जबकि राज्य शासन ने 2018-19 के दौरान ₹20,496 करोड़ का बाजार से कर्ज लिया। राज्य शासन के पास आधिक्य रोकड़ शेष मुख्यतः लोक ऋण के अंतर्गत बाजार कर्ज लेने के कारण था। वृहत् रोकड़ शेष, राज्य शासन के लिए ब्याज लागत भार को बढ़ाता है। ब्याज भुगतान का मुख्य संघटक बाजार कर्ज (₹7,330 करोड़) पर ब्याज था। राज्य शासन अपने पास उपलब्ध आधिक्य रोकड़ शेष का उपयोग कर के उधारियों एवं ब्याज के भार को कम कर सकता था।

1.12 परिसम्पत्तियां एवं देयताएं

1.12.1 परिसम्पत्तियों एवं देयताओं की वृद्धि एवं संरचना

विद्यमान शासकीय लेखांकन पद्धति में शासन की स्वामित्व वाली अचल परिसम्पत्तियों यथा भूमि तथा भवनों का व्यापक लेखांकन नहीं किया गया है। तथापि, शासकीय लेखे, शासन की वित्तीय देयताओं तथा किए गए व्यय से सृजित परिसम्पत्तियों को समाहित करते हैं। 31 मार्च 2018 की समतुल्य स्थिति की तुलना करते हुए 31 मार्च 2019 को ऐसी देयताओं एवं परिसम्पत्तियों का सार **परिशिष्ट 1.8** प्रस्तुत करती है।

¹⁹ मार्च 2019 के समापन पर, कोषालय अधिकारियों एवं भारतीय रिजर्व बैंक के एजेंसी बैंक द्वारा लेखों में लेन-देनों के गलत रिपोर्टिंग के कारण वित्त लेखों में दर्शित आंकड़ों एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सूचित "रिजर्व बैंक के साथ जमा" के अंतर्गत ₹2,302.81 करोड़ के बीच ₹1,360.71 करोड़ का निवल अंतर था।

1.12.2 आरक्षित निधियों के अंतर्गत लेन-देन

राज्य शासन के लेखों में 11 आरक्षित निधियां हैं जो कि विशिष्ट उद्देश्यों के लिए निर्मित की गई हैं। विवरण तालिका 1.35 में सारांशीकृत किया गया है।

तालिका 1.35: 2016-19 के दौरान आरक्षित निधियों की स्थिति							
							(₹ लाख में)
स. क्र.	लेखा शीर्ष	आरक्षित निधियों की संख्या		1 अप्रैल 2016 को प्रारम्भिक शेष	2016-19 के दौरान प्राप्तियाँ	2016-19 के दौरान संवितरण	31 मार्च 2019 को अंतिम शेष
		संचालित	असंचालित				
ब्याज सहित आरक्षित निधियां							
1	8121-सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	02	00	77,046.44	5,28,212.92	5,28,189.00	7,542.76 ²⁰
ब्याज रहित आरक्षित निधियां							
1	8223-सूखा राहत निधि	-	01	598.15	-	-	598.15
2	8226-मूल्य ह्रास/नवीकरण आरक्षित निधि	-	01	463.58	-	-	463.58
3	8228-राजस्व आरक्षित निधि	-	01	2,409.27	-	-	2,409.27
4	8229-विकास एवं कल्याण निधि	03	01	6,92,459.58	2,89,476.97	3,85,557.68	5,96,378.87
5	8235- सामान्य एवं अन्य आरक्षित निधियां	01	01	2.21	1,420.72	1,420.72	2.21
कुल		06	05	7,72,979.23	8,19,110.61	9,15,167.40	6,07,394.84²⁰

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2016-19 की अवधि के दौरान ₹6,073.95 करोड़ के शेष के साथ कुल 11 आरक्षित निधियों में से ₹35.03 करोड़ के शेष के साथ पाँच²¹ निधि असंचालित थी। 31 मार्च 2019 के अंत में आरक्षित निधि 8229-विकास एवं कल्याण निधि के अंतर्गत पड़े ₹5,963.79 करोड़ में से मात्र ₹0.07 करोड़ का निवेश किया गया था।

1.12.2.1 राज्य आपदा मोचन निधि (एस.डी.आर.एफ.)

राज्य आपदा मोचन निधि के दिशानिर्देश विनिर्दिष्ट करते हैं कि राज्य भारत सरकार से प्राप्त राशि को प्राप्ति के 15 दिन के भीतर राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित करेगा तथा किसी भी देरी की स्थिति में राज्य शासन से देरी के दिनों की संख्या के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर पर ब्याज सहित राशि जारी करेगी। आगे, राज्य, राज्य आपदा मोचन निधि को भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष नियमन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिविकर्ष पर देय ब्याज की दर से ब्याज का भुगतान करेगा।

²⁰ 2018-19 के दौरान छत्तीसगढ़ को ₹2,727.60 लाख प्रोफॉर्मा अंतरण एवं 2017-18 के दौरान ₹66,800 लाख के प्रोफॉर्मा संशोधन के कारण समापन शेष ₹69,527.60 लाख से कम हुआ

²¹ 1. 8223-101- सूखा राहत निधि 2. 8226-102- शासकीय गैर वाणिज्यिक विभागों की मूल्यह्रास आरक्षित निधि, 3. 8229-103- कृषि उद्देश्यों के लिए विकास निधियां, 4. 8228-101- राजस्व आरक्षित निधियां, 5. 8235-200- अन्य निधियां

1 अप्रैल 2018 की स्थिति में राज्य आपदा मोचन निधि में शेष ₹75.19 करोड़ था। 2018–19 के दौरान, राज्य शासन ने भारत सरकार से ₹914.40 करोड़ प्राप्त किया था। राज्य शासन ने इस राशि को अपने अंश ₹101.60 करोड़ के साथ राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित किया था। वर्ष 2018–19 के दौरान म.प्र. शासन ने प्राकृतिक आपदा पर ₹1,016 करोड़ का व्यय किया था। तथापि, वर्ष के दौरान शेष राशि ₹75.19 करोड़ निवेश नहीं किया गया था तथा ब्याज की कोई भी राशि (₹6.20 करोड़²²) निधि में जमा नहीं की गयी थी।

भारत सरकार ने 27 सितंबर 2018 को मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि से सहायता के रूप में ₹334 करोड़ का सहायता अनुदान जारी किया था। तथापि, मध्य प्रदेश शासन ने उस राशि को 31 मार्च 2019 के अंत तक राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित नहीं किया। राज्य आपदा मोचन निधि के दिशानिर्देशों के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन को भुगतान नहीं की गई राशि ₹334 करोड़ पर भारतीय रिजर्व बैंक की बैंक दर से ₹10.44 करोड़ के ब्याज का भुगतान राज्य आपदा मोचन निधि में किया जाना अपेक्षित था।

राज्य आपदा मोचन निधि को निधियों के अंतरण न करने एवं ब्याज के भुगतान न करने के कारण ₹350.64 करोड़ से राजस्व अधिशेष बढ़ाकर एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान, अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि संबंधित विभाग को आवश्यक निर्देश जारी किए जाएंगे।

1.12.2.2 प्रत्याभूति विमोचन निधि (जी.आर.एफ.)

राज्य शासन ने बारहवें वित्त आयोग की अनुशंसा को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2005–06 में प्रत्याभूति विमोचन निधि का गठन किया। योजना के अनुसार, मध्य प्रदेश शासन से 2018–19 के दौरान निधि में ₹51.92²³ करोड़ का अंशदान किया जाना अपेक्षित था, किंतु मध्य प्रदेश शासन द्वारा किसी राशि का अंशदान नहीं किया गया। इसके परिणामस्वरूप ₹51.92 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया। 31 मार्च 2019 की स्थिति में, ₹30,763.38 करोड़ की कुल बकाया प्रत्याभूति के विरुद्ध निधि में ₹408.79 करोड़ शेष था जो कि केन्द्र सरकार की दिनांकित सिक्योरिटी में निवेशित किया गया था।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने उत्तर दिया कि राज्य शासन के पास प्रत्याभूति विमोचन निधि में पर्याप्त शेष था।

1.12.2.3 निक्षेप निधि

बारहवें वित्त आयोग ने अनुशंसा की थी कि राज्यों को ऋणों के परिशोधन के लिए निक्षेप निधि स्थापित करनी चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों के अनुसार राज्यों को विगत वर्ष के अंत में अपनी बकाया देयताओं का कम से कम 0.50 प्रतिशत का अंशदान समेकित निक्षेप निधि में देना आवश्यक है।

तथापि, राज्य शासन ने समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं किया। तथा इसके परिणामस्वरूप राज्य शासन ने 2018–19 में ₹861.82 करोड़ (31 मार्च 2018 की स्थिति में बकाया देयताएं ₹1,72,363.11 करोड़ का 0.50 प्रतिशत) का अंशदान नहीं किया। इस प्रकार, ₹861.82 करोड़ से राजस्व अधिशेष अधिक एवं राजकोषीय घाटा कम कर बताया गया।

निर्गम सम्मेलन (फरवरी 2020) के दौरान अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन ने समेकित निक्षेप निधि का गठन नहीं करने का निर्णय किया था तथा लेखापरीक्षा द्वारा राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटे पर की गयी टिप्पणी से सहमत नहीं था।


तथापि, इस पर ध्यान देना उचित है कि राज्य शासन ने वर्ष 2018–19 के बजट में समेकित निक्षेप निधि के लिए ₹1,000 के एक टोकन का प्रावधान किया था।

²² भारतीय रिजर्व बैंक के अधिविकर्ष नियमन दिशानिर्देशों के अंतर्गत अधिविकर्ष पर लागू 8.25 प्रतिशत की औसत दर पर परिकलित

²³ 2017–18 के दौरान प्रत्याभूति शुल्क के रूप में जारी ₹25.96 करोड़ एवं मध्य प्रदेश शासन द्वारा समान अंश

1.12.3 आकस्मिक देयताएं—प्रत्याभूतियों की स्थिति

2018-19 के दौरान, कुल बकाया प्रत्याभूतियां राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम²⁴ के अंतर्गत तय अधिकतम सीमा के अंतर्गत थी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा दी गयी बकाया प्रत्याभूतियों एवं अधिकतम प्रत्याभूति राशि का विवरण **परिशिष्ट 1.6** में दिया गया है। 31 मार्च 2019 की स्थिति में क्षेत्रवार बकाया प्रत्याभूतियों के संघटक को **चार्ट 1.14** में दर्शाया गया है।



मध्य प्रदेश शासन ने 2018-19 के दौरान उधारकर्ताओं द्वारा चूक के कारण प्रत्याभूतियों की किसी भी राशि का भुगतान नहीं किया। प्रत्याभूति की अधिकतम राशि के संघटक ऊर्जा क्षेत्र की छः²⁵ ईकाइयां (₹14,019 करोड़), सहकारी क्षेत्र का एक²⁶ संस्थान (₹5,150 करोड़), शहरी विकास एवं आवास के छः²⁷ संस्थान (₹6,283 करोड़), अन्य क्षेत्रों के पाँच²⁸ संस्थान (₹28,888 करोड़) एवं राज्य वित्त निगम (₹1,300 करोड़) थे।

प्रत्याभूति शुल्क प्रमुख ऋणी से प्रभारित किया जाता है जब तक कि विशेष रूप से छूट नहीं दी गयी हो। 2018-19 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन ने प्रत्याभूति शुल्क के रूप में कुल प्राप्य ₹81.06 करोड़ में से ₹14.73 करोड़ प्राप्त किया था।

1.13 ऋण प्रबंधन

1.13.1 राज्य शासन की राजकोषीय देयताओं की संरचना

2014-15 से 2018-19 के दौरान राज्य शासन की राजकोषीय देयताओं की संरचना का विस्तृत विवरण **तालिका 1.36** में दिया गया है।

²⁴ कुल प्रत्याभूतियां, पूर्ववर्ती वर्ष की कुल राजस्व प्राप्ति के 80 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए

²⁵ 1. मध्य प्रदेश ऊर्जा उत्पादन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 2. मध्य प्रदेश ऊर्जा पारेषण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर, 3. मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर 4. मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, भोपाल, 5. मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र ऊर्जा वितरण कम्पनी लिमिटेड, इंदौर, 6. मध्य प्रदेश ऊर्जा प्रबंधन कम्पनी लिमिटेड, जबलपुर

²⁶ 1. क्रेडिट सहकारिता

²⁷ 1. नगर निगम, 2. नगर पालिका, 3. नगर पंचायत, 4. राज्य नगरीय विकास प्राधिकरण, 5. नगर परिषद, 6. मध्य प्रदेश पुलिस आवास निगम लिमिटेड

²⁸ 1. मध्य प्रदेश खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, 2. मध्य प्रदेश वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग, 3. मध्य प्रदेश खाद्य एवं सिविल आपूर्ति विभाग, 4. लोक निर्माण कार्य विभाग, 5. उच्च शिक्षा

तालिका 1.36: राज्य शासन की राजकोषीय देयताओं की संरचना					
उधारियों की प्रकृति	शेष (₹ करोड़ में)				
	31 मार्च 2015	31 मार्च 2016	31 मार्च 2017	31 मार्च 2018	31 मार्च 2019
(क) लोक ऋण					
राज्य शासन के आंतरिक ऋण ²⁹	69,008	83,718	1,08,391	1,23,683	1,40,009
भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम	13,254	13,668	13,917	14,741	17,389
कुल (क)	82,262	97,386	1,22,308	1,38,424	1,57,398
(ख) अन्य लोक लेखे दायित्व					
अल्प बचत, भविष्य निधि इत्यादि	12,659	13,682	14,493	14,331	16,577
आरक्षित निधियां	5,995	7,730	7,218	5,512	6,074
जमा	7,772	8,346	11,781	14,096	14,260
कुल (ख)	26,426	29,758	33,492	33,939	36,911
राज्य शासन का कुल ऋण भंडार³⁰ (क + ख)	1,08,688	1,27,144	1,55,800	1,72,363	1,94,309

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

2014–15 से 2018–19 के पाँच वर्षीय अवधि के दौरान राज्य शासन का कुल ऋण भंडार ₹96,824 करोड़ (1 अप्रैल 2014) से बढ़कर ₹1,94,309 करोड़ (31 मार्च 2019) हो गया था। लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा का विस्तृत विवरण तालिका 1.37 में दिया गया है।

तालिका 1.37: लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा				
परिपक्वता वर्ष	आंतरिक ऋण	भारत सरकार से प्राप्त कर्ज एवं अग्रिम	कुल	(₹ करोड़ में)
				प्रतिशत
1 से 3 साल	16,685	1,243	17,928	11.39
3 से 7 साल	41,238	2,199	43,437	27.60
7 साल से ऊपर	72,135	960	73,095	46.44
परिपक्वता वर्ष उपलब्ध नहीं है	9,951	12,987	22,938	14.57
कुल	1,40,009	17,389	1,57,398	100.00

(स्रोत: वित्त लेखे 2018–19)

लोक ऋण की परिपक्वता रूपरेखा से परिलक्षित हुआ कि मोचन बाध्यता/दबाव वर्ष 2024–25 से बढ़ना संभावित था तथा यह मध्य प्रदेश राज्य विकास ऋण की परिपक्वता के कारण वर्ष 2027–28 में अधिकतम होगा।

1.13.2 उधार ली गयी निधियों की निवल उपलब्धता

2014–19 के दौरान लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियों एवं पुनर्भुगतानों के कारण निधियों की निवल उपलब्धता का विवरण तालिका 1.38 में दिया गया है।

²⁹ आंतरिक ऋण में बाजार कर्ज एवं वित्तीय संस्थानों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय सामान्य बीमा निगम, कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिए राष्ट्रीयकृत बैंक, राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम एवं अन्य संस्थाओं से कर्ज समाहित है।

³⁰ तालिका 1.36 में 2016–17 के दौरान कुल ऋण में उज्जवल डिस्कॉम आश्वासन योजना से उधारियां समाहित हैं ताकि वित्त लेखों से आंकड़ों का मिलान किया जा सके। उदय की उधारियों को छोड़कर कुल ऋण ₹1,48,440 करोड़ था, जो कि 2016–17 के लिए ऋण संधारणीयता एवं अन्य राजकोषीय मानदंडों के परिकलन के लिए लिया गया था

तालिका 1.38: लोक ऋण एवं अन्य दायित्वों के कारण निधियों की निवल उपलब्धता					
(₹ करोड़ में)					
विवरण	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियाँ	35,552	49,524	64,106	52,579	71,063
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत पुनर्भुगतान (मूलधन एवं ब्याज)	30,759	39,157	44,528	45,551	61,783
निवल निधि उपलब्ध	4,793	10,367	19,578	7,028	9,280
लोक ऋण एवं अन्य देयताओं के अंतर्गत प्राप्तियों को उपलब्ध निवल निधियों का प्रतिशत	13.48	20.93	30.54	13.37	13.06

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

जैसा कि तालिका 1.38 से स्पष्ट है, 2018-19 के दौरान उधार ली गई निधियों के 86.94 प्रतिशत का उपयोग मौजूदा देयताओं के निर्वहन के लिए किया गया था तथा राज्य की पूंजी निर्माण/विकास गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सका।

1.13.3 ऋण संधारणीयता

ऋण संधारणीयता राज्य की भविष्य में अपने ऋणों की सेवा करने की क्षमता को इंगित करता है। राजकोषीय देनदारियों को धारणीय माना जाता है यदि शासन भविष्य में इन देनदारियों के स्टॉक की सेवा करने में सक्षम है और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का अनुपात असहनीय अनुपात में नहीं बढ़ता है। तालिका 1.39, 2014-15 से आरंभ पाँच वर्षों के लिए ऋण संधारणीयता के संकेतकों को प्रस्तुत करती है।

तालिका 1.39: ऋण संधारणीयता: संकेतक एवं प्रवृत्तियाँ					
(₹ करोड़ में)					
ऋण संधारणीयता के संकेतक	2014-15	2015-16	2016-17 ³¹	2017-18	2018-19
लोक ऋण एवं लोक लेखा देयताओं के लिए उपलब्ध निवल निधि	4,793	10,367	19,578	7,028	9,280
ब्याज भुगतान का भार (ब्याज भुगतान/राजस्व प्राप्ति अनुपात) (प्रतिशत में)	7.98	7.67	7.36	8.19	8.53
राजस्व प्राप्तियाँ	88,641	1,05,511	1,23,307	1,34,875	1,48,893
बकाया ऋण (राजकोषीय देयताएं)	1,08,688	1,27,144	1,55,800	1,72,363	1,94,309
बकाया ऋण की संवृद्धि दर (राजकोषीय देयताएं) (प्रतिशत में)	12.25	16.98	22.54	10.63	12.73
सकल राज्य घरेलू उत्पाद	4,79,939	5,41,189	6,48,849	7,28,242	8,09,327
सकल राज्य घरेलू उत्पाद की संवृद्धि दर (प्रतिशत में)	9.21	12.76	19.89	12.24	11.13
बकाया ऋण (राजकोषीय देयताएं)/सकल राज्य घरेलू उत्पाद (प्रतिशत में)	22.65	23.49	24.01	23.67	24.01
ब्याज भुगतान	7,071	8,091	9,079	11,045	12,696
बकाया ऋण की औसत ब्याज दर (प्रतिशत में)	6.88	6.86	6.42	6.73	6.92

(स्रोत: संबंधित वर्षों के वित्त लेखे)

ऋण संधारणीयता के लिए एक आवश्यक शर्त ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात के संदर्भ में स्थिरता है। 2017-19 के दौरान ब्याज भुगतान से राजस्व प्राप्ति का अनुपात 8.19 प्रतिशत से बढ़कर 8.53 प्रतिशत हो गया तथा ऋण/सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात भी 2017-18 में 23.67 प्रतिशत से बढ़कर 2018-19 के दौरान 24.01 प्रतिशत हो गया।

³¹ उदय के प्रभाव को शामिल कर

जैसा कि **कंडिका 1.5** में वर्णित है राज्य शासन 2014–19 के दौरान राजकोषीय घाटे तथा ऋण से सकल राज्य घरेलू उत्पाद अनुपात को राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन लक्ष्य से नीचे रखने में सक्षम रहा। तथापि, ब्याज भुगतान से राजस्व प्राप्ति (ब्याज भुगतान का भार) के अनुपात का लक्ष्य हासिल नहीं हुआ तथा वास्तव में यह अनुपात 7.36 प्रतिशत (2016–17) से बढ़कर 8.53 प्रतिशत (2018–19) हो गया। इस प्रकार, राजकोषीय घाटे से सकल राज्य घरेलू उत्पाद तथा ऋण भंडार से सकल राज्य घरेलू उत्पाद के लिए लक्ष्यों को हासिल करने के बावजूद, ब्याज भुगतान की गति, चौदहवें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2019–20 तक लक्षित स्तर पर राजकोषीय समेकन के लिए प्रत्याशित राह पर होती हुई प्रतीत नहीं होती।

1.13.4 उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय)

उज्ज्वल डिस्कॉम आश्वासन योजना (उदय) भारत सरकार द्वारा नवम्बर 2015 में राज्य स्वामित्व वाली विद्युत वितरण कम्पनियों (डिस्कॉम) के परिचालन एवं वित्तीय कायाकल्प के लिए प्रारम्भ की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ब्याज भार, विद्युत लागत, वितरण क्षेत्र में विद्युत हानि को कम करना एवं विद्युत वितरण कम्पनियों की परिचालन दक्षता में सुधार करना था।

मध्य प्रदेश शासन ने अगस्त 2016 में मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों³² एवं विद्युत मंत्रालय (भारत सरकार) के साथ एक त्रिपक्षीय समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके अनुसार मध्य प्रदेश शासन 30 सितम्बर 2015 की स्थिति में ₹26,055 करोड़ (मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों के कुल ऋण ₹34,739 करोड़ का 75 प्रतिशत) मूल्य के ऋण को पाँच³³ वर्षों में अधिग्रहण करेगी। 2018–19 के दौरान, मध्य प्रदेश शासन को ₹4,622 करोड़ का ऋण अनुदान के रूप में अधिग्रहण करना था। ऐसा नहीं किया गया था। तथापि, जैसा कि समझौता ज्ञापन में प्रतिबद्ध था, मध्य प्रदेश शासन ने वर्ष 2017–18 के लिए मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनियों को हुयी हानि का पाँच प्रतिशत राशि ₹253.21 करोड़ का अधिग्रहण किया था।

उत्तर में अवर सचिव, वित्त विभाग ने बताया (दिसंबर 2019) कि विद्युत वितरण कंपनियों को राशि के अंतरण हेतु पात्र होने के लिये कुछ मापदंड निर्धारित किये गये थे, तथा वितरण कंपनियों मापदंडों को जैसा कि समझौता ज्ञापन में परिकल्पित था पूर्ण नहीं कर सकी। आगे, राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तय विभिन्न वित्तीय एवं राजकोषीय लक्ष्यों की अनुपालना के लिये अन्य प्राथमिकताओं (जैसे किसानों का ऋण माफ करना, विद्युत शुल्क कम करना, किसानों को फसल का उचित मूल्य देना इत्यादि) एवं आवश्यकताओं का ध्यान में रखते हुए, उदय के अंतर्गत कोई लेन-देन नहीं किया गया था।

ज्ञापन समझौते में किए गए कर्तव्यों के गैर-अनुपालन ने उदय के मुख्य उद्देश्य को निष्फल किया। इसके अलावा, यदि मध्य प्रदेश शासन ने विद्युत वितरण कंपनियों को 2018–19 के दौरान ₹4,622 करोड़ अंतरित किया होता तो राज्य का राजस्व अधिशेष एवं राजकोषीय घाटा क्रमशः ₹2,122 करोड़ एवं ₹28,310 करोड़ होते जो कि राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत तय सीमा के भीतर होता।

1.14 आगे की कार्यवाही/निरंतरता

वर्ष 2008–09 के बाद राज्य के वित्त पर पृथक प्रतिवेदन तैयार किए जा रहे हैं तथा राज्य विधानसभा में प्रस्तुत किए जा रहे हैं। लोक लेखा समिति द्वारा अभी इन प्रतिवेदनो पर विचार विमर्श करना बाकी है।

³² मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कम्पनियों में मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड, मध्य प्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड एवं मध्य प्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड शामिल हैं।

³³ 1. 2016–17 के दौरान ₹7,568 करोड़, 2. 2017–18 के दौरान ₹4,622 करोड़, 3. 2018–19 के दौरान ₹4,622 करोड़, 4. 2019–20 के दौरान ₹4,622 करोड़, 5. 2020–21 के दौरान ₹4,621 करोड़

1.15 निष्कर्ष

2018-19 के दौरान राज्य शासन ने अपनी राजस्व प्राप्तियों में विगत वर्ष की तुलना में 10.39 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की, यद्यपि यह उस वर्ष के लिए बजट में लक्षित सीमा को प्राप्त नहीं कर सकी। इसके स्वयं के कर प्राप्तियों में 13.55 प्रतिशत की वृद्धि, मुख्यतः माल एवं सेवा कर प्राप्तियों के कारण, के अलावा वर्ष 2018-19 के दौरान करेत्तर राजस्व में 31.32 प्रतिशत की उल्लेखनीय वृद्धि हुई थी।

वर्ष 2018-19 के दौरान राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के लिए ₹1,153.70 करोड़ (कर्मचारी अंशदान एवं शासकीय अंशदान) के कुल एकत्रित अंशदान में से राज्य शासन ने केवल ₹1,040.60 करोड़ राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमिटेड को अंतरित किया। लेखापरीक्षा की नमूना जांच में पुलिस एवं शिक्षा विभाग के 11 कार्यालयों में वेतन तथा बकायों से राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली की गैर कटौती के प्रकरण परिलक्षित हुए।

2018-19 के दौरान राज्य के सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्रों पर विकास व्यय सामान्य श्रेणी राज्यों के औसत से अधिक था, सिवाय स्वास्थ्य (4.48 प्रतिशत) पर व्यय के जो कि सामान्य श्रेणी राज्यों (5.07 प्रतिशत) से कम था।

राज्य ने सहायतानुदान में से किए गए व्ययों के लेखांकन प्रशोधन के संबंध में भारतीय शासकीय लेखांकन मापदंड (IGAS-2) का गैर अनुपालन जारी रखा जिसके प्रभाव से राजस्व अधिशेष को बढ़ाने के अलावा विभिन्न लेखा शीर्षों के अंतर्गत इसके व्ययों को अशुद्ध दर्शाया गया।

राज्य शासन ने उदय योजना के अंतर्गत भारत सरकार एवं विद्युत वितरण कंपनियों के साथ अपने ज्ञापन समझौतों में की गई अपनी प्रतिबद्धता/कर्तव्यों का सम्मान नहीं किया। इसने समेकित निक्षेप निधि भी गठित नहीं किया तथा निधि में ₹861.82 करोड़ का अनिवार्य अंशदान नहीं किया। आगे, प्रत्याभूति मोचन निधि में कम अंशदान किया गया था।

1.16 अनुशंसाएं

- i) राज्य शासन के लिए यह अनिवार्य है कि वह सहायतानुदान से पूरित व्यय के वर्गीकरण की समीक्षा करे तथा अपना बजट तैयार करने एवं इस संबंध में व्यय का पुस्तांकन करने में आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करे, यह सुनिश्चित करने के लिए कि इसके राजकोषीय मापदंड जैसे राजस्व अधिशेष/घाटा एवं राजकोषीय घाटा इसके वित्तों की सही स्थिति दर्शाए।
- ii) राज्य शासन को यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी शासकीय विभागों द्वारा कर्मचारियों के राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली योगदान की कटौती सतर्कतापूर्वक की जाती है, ऐसे कटौतियों की अपने योगदान से मिलान करने तथा निधियों को ब्याज सहित शीघ्रतापूर्वक निर्दिष्ट निधि प्रबंधक को अंतरित करने के लिए एक उपयुक्त तंत्र गठित करने की आवश्यकता है।
- iii) राज्य शासन को राज्य आपदा मोचन निधि दिशानिर्देशों के अनुसार भारत सरकार द्वारा इस उद्देश्य हेतु जारी निधियों को ब्याज सहित प्राथमिकता पर राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरित करने की भी आवश्यकता है।
- iv) राज्य शासन को विद्युत वितरण कंपनियों के ऋणों के संबंध में भारत सरकार एवं विद्युत वितरण कंपनियों के साथ त्रिपक्षीय ज्ञापन समझौते में की गई अपनी प्रतिबद्धता/कर्तव्यों का सम्मान करने की आवश्यकता है।